भारतीय राजनीति और संविधान

Study Tide
VICS

1. भारत का संवैधानिक विकास

1757 ई. की प्लासी की लड़ाई और 1764 ई. बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा. इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय-समय पर कई एक्ट पारित किए, जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनीं. वे निम्न हैं:

- **अध्ययन की सुविधा के लिए भारतीय संविधान के विकास को 6 चरणों में विभाजित किया जाता है: –**

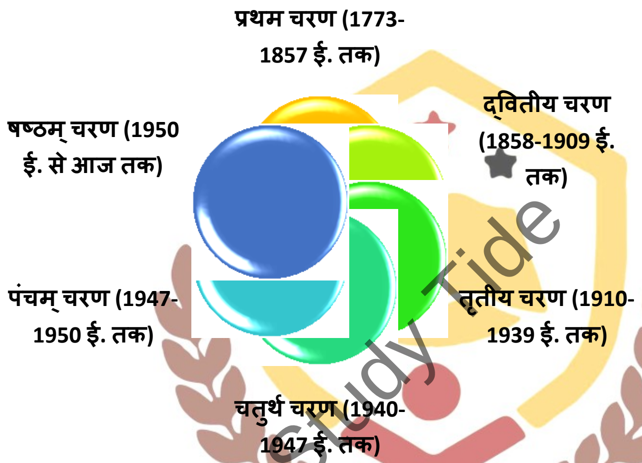

Study Tide

प्रथम चरण (1773-1857 ई. तक)

VICS

1. 1773 ई. का रेग्यूलेटिंग एक्ट:

इस एक्ट के अंतर्गत **कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई,** जिसमें **गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के चार सदस्य थे**, जो अपनी सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे. इसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं -

(i) कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया.

(ii) बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का जनरल नियुक्त किया गया.

(iii) कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई.

2. 1784 ई. का पिट्स इंडिया एक्ट:

इस एक्ट के द्वारा **दोहरे प्रशासन का प्रारंभ** हुआ-

(i) कोर्ट ऑफ़ डायरेक्टर्स - व्यापारिक मामलों के लिए

(ii) बोर्ड ऑफ़ कंट्रोलर- राजनीतिक मामलों के लिए.

3. 1793 ई. का चार्टर अधिनियम:

इसके द्वारा **नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन** आदि को **भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्थाय**की गई.

4. 1813 ई. का चार्टर अधिनियम:

इसके द्वारा

(i) कंपनी के अधिकार-पत्र को 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया.

(ii) कंपनी के **भारत के साथ व्यापर करने के एकाधिकार को छीन लिया गया**. लेकिन उसे **चीन के साथ व्यापर और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 सालों के लिए एकाधिकार** प्राप्त रहा**.**

(iii) कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया.

5. 1833 ई. का चार्टर अधिनियम:

इसके द्वारा

(i) कंपनी के **व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त** कर दिए गए.

(ii) अब **कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से** मात्र **भारत का शासन करना रह** गया

(iii) **बंगाल के गवर्नर जरनल** को **भारत का गवर्नर जनरल** कहा जाने लगा.

(iv) भारतीय **कानूनों का वर्गीकरण किया** गया तथा इस **कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था** की गई.

6. 1853 ई. का चार्टर अधिनियम:

इस अधिनियम के द्वारा **सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त** कर **कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने** की व्यवस्था की गई.

7. 1858 ई. का चार्टर अधिनियम:

(i) **भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों सौंपा गया.**

(ii) भारत में **मंत्री-पद की व्यवस्था** की गई.

(iii) **15 सदस्यों की भारत-परिषद का सृजन हुआ.**

(iv) **भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया.**

द्वितीय चरण (1858-1909 ई. तक)

8. 1861 ई. का भारत शासन अधिनियम:

(i) गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया,

(ii) **विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ,**

(iii) **गवर्नर जनरल को** पहली बार **अध्यादेश जारी करने की शक्ति** प्रदान की गई.

9.1892 ई. का भारत शासन अधिनियम:

(i) अप्रत्यक्ष **चुनाव-प्रणाली की शुरुआत** हुई,

(ii) **इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई.**

10. 1909 ई० का भारत शासन अधिनियम [मार्ले -मिंटो सुधार] -

(i) **पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व** का उपबंध किया गया.

(ii) **भारतीयों को** भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की **कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति** की गई.

(iii) **केंद्रीय और प्रांतीय विधान-परिषदों को पहली बार बजट पर वाद-विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला.**

(iv) **प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई.**

तृतीय चरण (1910-1939) ई.

11. 1919 ई० का भारत शासन अधिनियम [मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार] -

(i) केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई- प्रथम राज्य परिषद तथा **दूसरी केंद्रीय विधान सभा**. **राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60** थी; जिसमें **34 निर्वाचित** होते थे और उनका **कार्यकाल 5 वर्षों** का होता था. **केंद्रीय विधान सभा के सदस्यों की संख्या 145** थी, जिनमें **104 निवार्चित तथा 41 मनोनीत** होते थे. इनका **कार्यकाल 3 वर्षों का** था. **दोनों सदनों के अधिकार समान** थे. इनमें **सिर्फ एक अंतर था** कि **बजट पर स्वीकृति प्रदान** करने का **अधिकार निचले सदन** को था.

(ii) प्रांतो में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया. इस योजना के अनुसार **प्रांतीय विषयों को दो उपवर्गों में विभाजित** किया गया- **आरक्षित तथा हस्तांतरित.**

12. 1935 ई० का भारत शासन अधिनियम:

1935 ई० के **अधिनियम में 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट.** थे. इस **अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार** हैं:

(i) अखिल भारतीय संघ: यह **संघ 11 ब्रिटिश प्रांतो, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था,** जो स्वेच्छा से संघ में सम्मलित हों. **प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य** था, किंतु **देशी रियासतों के लिय यह एच्छिक** था. **देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुईं** और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा-पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया.

(ii) प्रांतीय स्वायत्ता: इस अधिनियम के द्वारा **प्रांतो में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर** उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया .

(iii) केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना: कुछ **संघीय विषयों** [सुरक्षा, वैदेशिक संबंध, धार्मिक मामलें] को **गवर्नर जनरल के हाथों में सुरक्षित रखा** गया. **अन्य संघीय विषयों** की व्यवस्था के लिए **गवर्नर- जनरल को सहायता एवं परामर्श देने हेतु मंत्रिमंडल की व्यवस्था** की गई, जो **मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी** था.

(iv) संघीय न्यायालय की व्यवस्था: इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था. इस **न्यायलय में एक मुख्य न्यायाधीश** तथा **दो अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था** की गई. न्यायालय से संबंधित **अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल [लंदन]** को प्राप्त थी.

(v) ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता: इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था. प्रांतीय विधान मंडल और संघीय व्यवस्थापिका: इसमें

किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे. **(vi) भारत परिषद का अंत :** इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया.

(vii) सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार: संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में **विभिन्न सम्प्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा** गया और **उसका विस्तार आंग्ल भारतीयों - भारतीय ईसाइयों, यूरोपियनों और हरिजनों के लिए भी किया गया**.

(viii) इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था.

(xi) इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया

नेहरू रिपोर्ट (28 अगस्त 1928 ई.)

- **लॉर्ड बर्कनहेड (भारत सचिव) ने साइमन कमीशन की नियुक्ति करने के साथ ही राष्ट्रीय नेतृत्व को एक ऐसा संविधान बनाने की चुनौती भी थी जो देश के सभी समुदायों और वर्गों को स्वीकार हो।**
- **अंततः मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली एक समिति में 28 अगस्त 1928 ई. को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे लखनऊ में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार कर लिया गया।**

प्रांतीय चुनाव वर्ष 1937

- **वर्ष 1935 ई. के भारत शासन के आधार पर फरवरी 1937 ई. में चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली।**
- **11 प्रांतों मद्रास, केंद्रीय मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, मुंबई, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, बंगाल, पंजाब एवं सिंध में चुनाव हुए।**
- **कांग्रेस ने 5 प्रांतों मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किए।**
- **मुंबई, असम , उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में वह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी।**
- **केवल बंगाल, पंजाब, तथा सिंध में ही कांग्रेस बहुमत से वंचित रह गई।**
- **पंजाब में मुस्लिम लीग तथा यूनियनिस्ट पार्टी ने संयुक्त सरकार बनाई।**
- **बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने संयुक्त सरकार बनाई।**
- **सिंध में सिंध यूनाइटेड पार्टी के अधीन संयुक्त सरकार का गठन हुआ।**

क्रिप्स मिशन (1942 ई.)

- ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में एक मिशन भारत भेजा।
- कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया।
- गांधीजी ने क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तरतिथिय चेक (पोस्ट डेटेड चेक) कहा।(जवाहरलाल नेहरू ने इसमें आगे "ऐसा बैंक जो टूट रहा है।" जोड़ दिया।)

क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे:-

1. युद्ध के बाद भारतीय संघ क निर्माण का प्रयत्न करना।
2. भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देना।
3. युद्ध के तत्काल बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन करना जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी रजवाड़े के प्रतिनिधि शामिल हो।

वेवेल योजना (1945 ई.)

- अक्टूबर 1945 ई. में लिनलिथगो की जगह वेवेल वायसराय बने।
- इन्होंने शांति लाने के उद्देश्य से कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्यों को रिहा कर दिया।
- 4 जून 1945 ई. को वेवेल ने एक योजना रखी

जिसमें निम्न बातें थी:-

1. केंद्र में नई कार्य परिषद का गठन किया जाएगा।
2. परिषद में वायसराय तथा सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त शेष सभी सदस्य भारतीय होंगे। प्रतिरक्षा विभाग वायसराय के अधीन होगा।
3. कार्यकारिणी में मुसलमानों की संख्या सवर्ण हिंदुओं के बराबर होगी।
4. गवर्नर जनरल मंत्रियों की सलाह पर वीटो या निषेधाधिकार का प्रयोग करेगा।
   - विभिन्न प्रस्ताव पर विचार विमर्श के लिए 25 जून 1945 को शिमला में सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें कांग्रेस के साथ लीग को बराबरी का दर्जा दिया गया।
   - जिन्ना की मांग थी कि वायसराय की परिषद के सभी मुस्लिम सदस्य लीग से लिए जाएँ क्योंकि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि है।
   - जिन्ना की यही मांग शिमला सम्मेलन की असफलता का कारण बनी है।
   - इस सम्मेलन में कांग्रेस ने अपना प्रतिनिधि मौलाना अबुल कलाम आजाद को नियुक्त किया।

StudyRide VICS

- वायसराय ने अपनी कार्यकारिणी में 14 सदस्य रखने का निर्णय लिया जिसमें 5 कांग्रेस की 5 मुस्लिम लीग के तथा 4 अन्य सदस्य थे।

भारत में आम चुनाव (1945ई.)

- ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल की कंजरवेटिव पार्टी की पराजय के बाद लेबर पार्टी के नेता क्लिमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने।
- उसने सर पैथिक लोरेंस को भारत सचिव नियुक्त किया जिसने भारत में आम चुनाव करवाएं।
- केंद्रीय विधानमंडल की 102 सीटों में कांग्रेस 57 सीटों पर सफल हुई।
- प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस को बंगाल सिंध और पंजाब के अलावा शेष स्थानों पर बहुमत प्राप्त हुई।
- मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, असम और मध्य प्रांत में कांग्रेस ने अपनी सरकारों का गठन किया।
- मुस्लिम लीग को केवल बंगाल और सिंध में ही बहुमत मिला।

कैबिनेट मिशन योजना (1946 ई.)

- जनवरी 1946 ई. में एटली ने भारतीय नेताओं से औपचारिक स्तर पर बातचीत करने के लिए एक संसदीय दल को भारत भेजने का निर्णय लिया जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया।
- 29 मार्च 1946 ई. कैबिनेट मिशन भारत आया।
- कैबिनेट मिशन के सदस्यों में सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, ए वी अलेक्जेंडर तथा पैथिक लोरेंस शामिल थे।

Study Tide
VICS

कैबिनेट मिशन योजना के मुख्य बिंदु:-

1. भारत एक आधिराज्य होगा जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और देसी राज्य दोनों शामिल होंगे।
2. विदेशी मामले प्रतिरक्षा तथा संचार साधन केंद्रीय सरकार के अधीन होंगे।
3. मुस्लिम लीग की पाकिस्तान मांग को इस आधार पर ठुकरा दिया गया था कि इससे सांप्रदायिक अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान नहीं होगा।
4. प्रांतों को तीन श्रेणियों को क, ख और ग में बांटा गया

    भाग क मुंबई, बिहार, मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा और संयुक्त प्रांत

    भाग ख पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत सिंध और पंजाब

    भाग ग असम बंगाल
5. संघीय विषयों को छोड़कर शेष विषय और अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होंगी।

6. संविधान निर्मात्री सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा तथा प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सामान्यत: 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि के अनुपात में सीटों की कुल संख्या आवंटित की जाएंगी।
   - 6 जून 1946 ई. को मुस्लिम लीग ने तथा 24 जून 1946 ई. को कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर लिया।
   - मुस्लिम लीग ने 29 जुलाई 1946 ई. को अपनी स्वीकृति वापस ले ली और पाकिस्तान के लिए सीधी कार्यवाही शुरू की।

अंतरिम सरकार का गठन (2 सितंबर 1946 ई.)

- कांग्रेस द्वारा वायसराय की नवीनतम प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने के बाद अगस्त 1946 ई. को वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया।
- 20 नवंबर 1946 ई. को लॉर्ड वेवेल ने संविधान सभा की प्रथम बैठक के सदस्यों को आमंत्रित किया।
- 9 दिसंबर 1946 ई. को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई जिसमें डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष चुना गया।
- 11 दिसंबर 1946 ई. को डॉ राजेंद्र प्रसाद को संविधान का स्थाई अध्यक्ष चुना गया।
- 13 दिसंबर को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया।

Study Tide

अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल

सदस्य	विभाग
जवाहरलाल नेहरू	कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मामले एवं राष्ट्र मंडल से संबंधित मामले
सरदार बल्लभ भाई पटेल	गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग तथा रियासत संबंधी मामले
बलदेव सिंह	रक्षा विभाग
जॉन मथाई	उद्योग एवं आपूर्ति विभाग
सी राजगोपालाचारी	शिक्षा विभाग
सी एच भाभा	कार्य ,खान तथा बंदरगाह
डॉ राजेंद्र प्रसाद	खाद्य एवं कृषि विभाग
आसफ अली	रेल विभाग
जगजीवन राम	श्रम विभाग
लियाकत अली खान	वित्त विभाग

माउंटबेटन योजना

- **20 फरवरी 1947 ई. को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली ने हाउस ऑफ कॉमंस में बयान दिया कि जून 1948 ई. तक भारतीयों को सत्ता सौंपकर अंग्रेज भारत छोड़ देंगे।**
- **वेवेल के स्थान पर 24 मार्च 1947 ई. को माउंटबेटन गवर्नर जनरल बन कर भारत आया।**
- **3 जून को माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की योजना प्रस्तुत की।**

इस योजना के निम्नलिखित बिंदु थे:-

1. **15 अगस्त 1947 ई. को भारत में दो आधिराज्यों की स्थापना की जाएगी और सभी शक्तियां इन्हें हस्तांतरित कर दी जाएगी।**
2. **भारतीय राजवाड़ों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की इजाजत दी गई। उन्हें स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया गया।**
3. **उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तथा असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह के द्वारा पता लगाया जाना था कि वह किसके साथ रहना चाहते हैं।**

Study Tide
VICS

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम (1947 ई.)

- माउंटबेटन योजना के आधार पर 4 जुलाई 1947 ई. को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया।
- 15 जुलाई को यह हाउस ऑफ कॉमंस में तथा 16 जुलाई 1947 ई. को ब्रिटिश सम्राट के द्वारा स्वीकार कर लिया गया।
- इस अधिनियम के आधार पर 14 अगस्त को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हो गया।
- मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल तथा लियाकत अली प्रधानमंत्री बने।
- भारत में लॉर्ड माउंटबेटन प्रथम गवर्नर जनरल तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने।

Study Tide
VICS

2. भारतीय संविधान सभा का गठन

- भारत में **संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में वामपंथी नेता एमएन रॉय द्वारा** रखा गया।
- वर्ष **1934 में ही स्वराज्य पार्टी द्वारा** संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया।
- **ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1942 में क्रिप्स मिशन संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया** जिसे **मुस्लिम लीग ने अस्वीकार** कर दिया।
- क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद **1946 में तीन सदस्यीय कैबिनेट मिशन पैथिक लोरेंस, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स और ए वी. एलेग्जेंडर** को भारत भेजा गया।
- **कैबिनेट मिशन के एक प्रस्ताव द्वारा संविधान सभा का गठन** किया गया।

संविधान सभा की कार्यविधि (PROCEEDING OF THE CONSTITUENT ASSEMBLY)

- **संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946** को हुई।
- प्रथम अधिवेशन में **सर्वमान्य रूप से डॉ सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष** चुना गया।
- **मुस्लिम लीग द्वारा इस बैठक का बहिष्कार** किया गया।
- **11 दिसंबर 1946** को **डॉ राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थाई अध्यक्ष और एचसी मुखर्जी को उपाध्यक्ष** चुना गया।
- **सर B.N.RAO** को **संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त** किया गया।

उद्देश्य प्रस्ताव (OBJECTIVE RESOLUTION)

- **13 दिसंबर 1946** को **संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू** द्वारा **उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत** किया गया।
- इस **प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वमान्य रूप से स्वीकार** किया गया।
- इस **प्रस्ताव ने संविधान के स्वरूप और प्रस्तावना** के निर्माण में **मुख्य भूमिका अदा** की।

संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य	
कब	क्या अपनाया / सत्यापित किया
22 जुलाई 1947	राष्ट्रीय ध्वज
मई 1949	राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता सत्यापित
24 जनवरी 1950	राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान

Study Tide VICS

24 जनवरी 1950	डॉ राजेंद्र प्रसाद का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुनाव
24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई।	

- **2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों** में संविधान सभा ने **लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन कर** भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया।
- **26 जनवरी 1950 से 1951 – 52 में हुए आम चुनाव के बाद** बनने वाली **नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया।**

संविधान सभा की संविधान निर्माण से संबंधित कार्य समितियाँ

बड़ी समितियां	अध्यक्ष
संघ शक्ति समिति	जवाहरलाल नेहरू
संघीय संविधान समिति	जवाहरलाल नेहरू
राज्यों के लिए समिति	जवाहरलाल नेहरू
प्रांतीय संविधान समिति	सरदार वल्लभभाई पटेल
मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति	सरदार वल्लभभाई पटेल
मूल अधिकार उप समिति	जे बी कृपलानी
अल्पसंख्यक उप समिति	एचसी मुखर्जी
प्रारूप समिति	डॉ भीमराव अंबेडकर
प्रक्रिया नियम समिति	डॉ राजेंद्र प्रसाद
संचालन समिति	डॉ राजेंद्र प्रसाद

छोटी समितियां	अध्यक्ष
संविधान सभा के कार्य संबंधी समिति	जीवी मावलंकर
कार्य संचालन समिति	डॉ के एम मुंशी
सदन समिति	पट्टाबी सीतारमैय्या
राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति	डॉ राजेंद्र प्रसाद

Study Tide
VICS

प्रारूप समिति (DRAFTING COMMITTEE)

1. **प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947** को **डॉ भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता** में हुई।
2. **प्रारूप समिति में 7 सदस्य** थे।
3. **भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन बंगाल प्रांत** से हुआ था लेकिन **विभाजन के कारण वह क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान** में चला गया और भीमराव अंबेडकर का **पुनः निर्वाचन मुंबई से हुआ।**

प्रारूप समिति के सदस्य (MEMBERS OF DRAFTING COMMITTEE)

1. **डॉ भीमराव अंबेडकर (सदस्य)**
2. **एन गोपाल स्वामी आयंगर**
3. **अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर**
4. **डॉ के एम मुंशी**
5. **सैयद मोहम्मद सादुल्लाह**
6. **एन माधवराव (बीएल मित्र की जगह HEALTH ISSUE)**
7. **टीटी कृष्णमाचारी (डीपी खेतान की जगह DEATH)**

भारतीय संविधान पर अन्य देशों से ग्रहण किए गए स्रोतों का विवरण

देश	प्रावधान
ब्रिटेन	संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, विधाई प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, प्रमाधिकार लेख
USA	मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति व महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद
कनाडा	एक सशक्त केंद्र के साथ अर्ध संघ सरकार का स्वरूप, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन, राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन
दक्षिण अफ्रीका	संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन प्रक्रिया
फ्रांस	स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, गणतंत्रात्मक व्यवस्था

आयरलैंड	राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य कला विज्ञान तथा समाज सेवा आदि क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया
ऑस्ट्रेलिया	समवर्ती सूची का प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
जर्मनी	आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन
जापान	विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
USSR	मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का आदर्श।

Study Tide
VICS

3. संविधान की प्रस्तावना
PREAMBLE OF CONSTITUTION

हम भारत के लोग, भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ई. (मीति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

- **प्रसिद्ध न्यायविद् व संविधान विशेषज्ञ एन ए पालकीवाला** ने प्रस्तावना को **संविधान के परिचय पत्र की संज्ञा** दी है।
- भारतीय संविधान की **प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को** संविधान सभा में **उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से लाया** गया।
- **प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से ली गई है** लेकिन **प्रस्तावना की भाषा पर ऑस्ट्रेलियाई संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव** है।
- **42 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द** शामिल किए गए।

प्रस्तावना के मुख्य तत्व	
संविधान का स्रोत	**हम भारत के लोग अर्थात जनता**
संविधान का स्वरूप	**समप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य**
संविधान का उद्देश्य	**न्याय – सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्वतंत्रता – विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना** **समानता – प्रतिष्ठा और अवसर की** **व्यक्ति की गरिमा** **राष्ट्र की एकता और अखंडता, बंधुता**

प्रस्तावना परिवर्तनीय संशोधनीय है या नहीं	
प्रस्तावना में संशोधन (अनुच्छेद 368 के तहत) से संबंधित वाद	
संशोधनीय है	संशोधनीय नहीं है
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973	बेरूबारी संघ के 1960
अनुच्छेद 368 के तहत संशोधनीय लेकिन मूल ढांचे से संबंधित विषयों में संशोधन संभव नहीं।	संशोधन नहीं क्योंकि संविधान का भाग नहीं है।

4. भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र तथा राज्यों का पुनर्गठन

- संविधान के **अनुच्छेद 1 में निर्धारित** किया गया है कि **भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा।**
- जिसमें **भारत शब्द देश का नाम** और **संघ शब्द शासन प्रणाली को दर्शाता** है।

  भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र समाविष्ट हैं

  1. **राज्यों के राज्य क्षेत्र**
  2. **पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र**
  3. **ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं।**
- **कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं** है अर्थात **भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है।**

➢ **अनुच्छेद 2** के **अधीन संसद को दो प्रकार की शक्ति** प्राप्त है

  1. **नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति**
  2. **नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति।**

- **36 वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा** सिक्किम को भारत संघ में सम्मिलित किया गया।
  1. **अनुच्छेद 3** के द्वारा **भारत की संसद को यह शक्ति प्राप्त** है **संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती** है
  2. **वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन** कर सकती हैं।
- **इस प्रकार की विधि** को **अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझा** जाएगा।
- **संघीय क्षेत्रों को संसद के दोनों सदनों में प्रतिनिधित्व प्राप्त** है।
- भारत में **संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा** होता है।
- भारत के **राज्य क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्रों का संबंध** संविधान की **पहली अनुसूची** से है।

Study Tide
VICS

देसी रियासतों का एकीकरण

- **स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारतीय राज्य क्षेत्र 2 वर्गों** में विभक्त था
  1) ब्रिटिश भारत और 2) देशी रियासतें
- **ब्रिटिश भारत 9 प्रांत** और लगभग 552 देशी रियासतें थी।
- **जूनागढ़, हैदराबाद तथा जम्मू कश्मीर** को भारत में **क्रमशः जनमत संग्रह, पुलिस कार्यवाही, (ऑपरेशन पोलो) एवं विलय पत्र** पर हस्ताक्षर करके मिलाया गया।
- शेष देसी रियासतों को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत संघ में सम्मिलित किया गया।
- **1949 के मूल संविधान में** भारत के **संपूर्ण क्षेत्र को 4 वर्गों में बांटा** गया था

राज्य पुनर्गठन आयोग/ धर आयोग
STATE REORGANISATION COMMISSION

- **जून 1948** में भारत सरकार द्वारा **एस. के. धर की अध्यक्षता** में **भाषाई प्रांतीय आयोग** का गठन हुआ।
- **दिसंबर 1948** में **आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत** की।
- **इसमें राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषाई न रखकर प्रशासनिक सुविधा को रखने की अनुशंसा की गई**
- **धर आयोग की रिपोर्ट के बाद** दिसंबर 1948 में **जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाबी सीता रमैया** के नेतृत्व में **जेवीपी समिति गठित** की गई।
- इस समिति ने **अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट सौंपी** तथा इसमें भी **भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग स्वीकार नहीं किया गया।**
- **1953 में पोट्टी श्रीरामलू के निधन** के कारण **मद्रास को भाषाई आधार पर विभाजित कर तेलुगु भाषी पृथक राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का गठन** किया गया।

वर्ष 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग रिपोर्ट

- **अध्यक्ष – फजल अली**
- **अन्य सदस्य – के एम पणिकर, एचएन कुंजरु**
- **आयोग की रिपोर्ट 1955**
- **भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकार किया**
- **एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार** कर दिया।
- **7 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956** के द्वारा **संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र को दो वर्गों** में विभाजित किया गया

1) राज्य एवं 2) संघ राज्य क्षेत्र

- संघ राज्य क्षेत्र में आमतौर पर वही राज्य शामिल किए गए जो भाग ग और घ के राज्यों में शामिल थे।
- वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
- जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्र शासित राज्यों में विभाजित कर दिया गया जम्मू और लद्दाख।

भाग	भारतीय संघ	शामिल राज्य
भाग क	ब्रिटिश प्रांत जहां गवर्नर का शासन था	असम, बिहार, मुंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल
भाग ख	बड़े आकार की देशी रियासतें	हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन, विंध्य प्रदेश
भाग ग	मुख्य आयुक्त के शासन (कुछ ऐसा ही शासन वाले छोटी रियासतें)	अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूचबिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल, प्रदेश, कच्छ, मणिपुर त्रिपुरा
भाग घ	विदेशों से अर्जित राज्य	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।

Study Tide
VICS

5. नागरिकता

- भारतीय संविधान **के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान** किया गया है।
- **भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान** है अर्थात भारत में **अलग-अलग राज्यों के अनुसार नागरिकता का प्रावधान नहीं** है।
- **अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान** है।
- **संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार** है।

अनुच्छेद	प्रावधान
अनुच्छेद 5	संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता
अनुच्छेद 6	पाकिस्तान से भारत आने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार
अनुच्छेद 7	पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार है
अनुच्छेद 8	भारतीय मूल के व्यक्तियों के अधिकार
अनुच्छेद 9	विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना
अनुच्छेद 10	नागरिकों के अधिकारों का बना रहना
अनुच्छेद 11	संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना।

नागरिकता अधिनियम 1955 में किए गए प्रमुख संशोधन

1. नागरिकता (संशोधन) अधिनियम – 1986
2. नागरिकता (संशोधन) अधिनियम – 1992
3. नागरिकता (संशोधन) अधिनियम – 2003
4. नागरिकता (संशोधन) अधिनियम – 2005
5. नागरिकता (संशोधन) अधिनियम – 2015

1. **अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30** में दिए गए **मूल अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को** ही प्राप्त हैं।
2. **अनुच्छेद 14, 20, 21, 21(A), 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28** में दिए गए **मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त** है।
3. **लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचन हेतु मत देने का अधिकार** तथा **संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त** है।

4. **राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी, राज्यपाल, अधिवक्ता** जैसे प्रमुख पदों पर **केवल भारतीय नागरिक नियुक्ति के पात्र होते हैं।**

- भारत में **नागरिकता को पांच प्रकार से प्राप्त किया जा सकता** है

नागरिकता का अर्जन (ACQUISITION OF CITIZENSHIP)

1. **जन्म से — BY BIRTH**
2. **वंशानुगत — BY DESCENT**
3. **पंजीकरण द्वारा — BY REGISTRATION**
4. **देसी अकड़न द्वारा — BY NATURALIZATION**
5. **क्षेत्र सम्मिलित होने पर INCORPORATION OF TERRITORY**

नागरिकता की समाप्ति (TERMINATION OF CITIZENSHIP)

1. **नागरिकता का परित्याग — RENUNCIATION**
2. **बर्खास्तगी — TERMINATION**

- **किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर उसकी नागरिकता स्वत: ही समाप्त हो जाएगी।**

3. **वंचित किए जाने पर — DEPRIVATION**

➢ **जो व्यक्ति पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान या चीन के नागरिक हैं या कभी भी रहे हैं वह भारतीय मूल के व्यक्ति वर्ग (POI) में शामिल नहीं हो सकते हैं।**

StudyTide
VICS

6. मूल अधिकार
FUNDAMENTAL RIGHTS

- भारत में पहली बार **मूल अधिकार का प्रावधान नेहरू रिपोर्ट 1928** में की गई थी।
- **1921 के कराची अधिवेशन** में **सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता** में कांग्रेस ने **एक घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग** की थी।
- कराची अधिवेशन के **मूल अधिकारों का प्रारूप** (DRAFT) **जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया** गया था।
- भारतीय संविधान के **भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका उल्लेख है।**
- संविधान के **भाग 3 को भारत का मैग्नाकार्टा की संज्ञा** दी गई है।
- संविधान के **भाग 3 को न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त** है।

अनुच्छेद	विषय वस्तु
12	राज्य की परिभाषा भारत की सरकार और संसद राज्य की सरकारें और विधान मंडल सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी
13	मूल अधिकारों से असंगत कानूनों नियमों उप नियमों परंपरा इत्यादि का निर्मूलन या अल्पी करण
समानता का अधिकार	
14	विधि या कानून के समक्ष समानता
15	धर्म मूल वंश जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध
16	लोक नियोजन (PUBLIC EMPLOYMENT) या नौकरी के विषय में अवसर की समानता
17	अस्पृश्यता (UNTOUCHABILITY) का अंत
18	उपाधियों का अंत
स्वतंत्रता का अधिकार	
19	वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
20	अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण
21	प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
21(क)	प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार (86 वा CA 2002)
22	कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण।
शोषण के विरुद्ध अधिकार	

23	मानव के बेगार, बलात श्रम और दुर्व्यापार (HUMAN TRAFFICKING) का प्रतिषेध
24	कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध
	धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28
25	अंत:करण की और धर्म को अबाध रूप से मानने आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता
26	धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता
27	किसी विशेष धर्म को संपोषित करने वाले करो के अदायगी के बारे में स्वतंत्रता
28	कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता।

- **मूल संविधान** में **मौलिक अधिकारों की संख्या 7** थी परंतु **वर्तमान में केवल 6 मूल अधिकार** है।
- **44 वें संविधान संशोधन 1978** द्वारा **संपत्ति के मूल अधिकार को इस सूची से हटा कर अनुच्छेद 300(क) में कानूनी अधिकार** बना दिया गया।
- **मूल अधिकार स्थायी नहीं** है अर्थात **संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की शक्ति के माध्यम से इनको घटा – बढ़ा** सकती है।
- **राष्ट्रीय आपातकाल (NATIONAL EMERGENCY) अनुच्छेद 352** के दौरान **अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर समस्त मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं।**

अनुच्छेद	विषय वस्तु
	संस्कृति और शैक्षिक अधिकार 29 30
29	अल्पसंख्यक वर्गों धार्मिक और भाषायी के हितों का संरक्षण
30	शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार
	संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32

- इस भाग द्वारा **प्रदत्त अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संरक्षण** प्राप्त है।
- **अनुच्छेद 32** इसके तहत **उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर संरक्षण प्रदान** करता है।
- **अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में** किसी विधि को **संवैधानिक या असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति प्रदान** करता है।
- **केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद** के अनुसार **सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों में संशोधन कर** सकती है परंतु **संविधान की आधारभूत संरचना को परिवर्तित नहीं कर सकती।**

- **केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद 1973** में **संविधान की आधारभूत संरचना की अवधारणा** को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तुत किया।
- **अनुच्छेद 13, 32 तथा 226 के माध्यम से** भारतीय **न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन** की शक्ति प्राप्त है।
- **अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 35 संसद को यह शक्ति** प्रदान करता है कि वह **अस्पृश्यता के आचरण हेतु दंड की विधि का निर्माण करें।**
- **संसद द्वारा 1955 में अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम** का निर्माण किया गया और **1976 में इस अधिनियम में संशोधन कर** इसका नाम **सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955** रखा गया।
- **30 जनवरी 1990 को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** अस्तित्व में आया। इसे **एट्रोसिटीज एक्ट के नाम से भी जाना** जाता है।

अनुच्छेद	स्वतंत्रता का अधिकार	अनुच्छेद	युक्ति युक्त निर्बंधन का आधार
19 (1) (क)	भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता	19.2	भारत की सुरक्षा और संप्रभुता न्यायालय की अवमानना (CONTEMPT) मानहानि लोक व्यवस्था विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध शिष्टाचार एवं सदाचार अपराध उद्दीपन
19 (1) (ख)	शांतिपूर्ण और हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार	19.3	भारत की संप्रभुता और अखंडता लोक व्यवस्था
19 (1) (ग)	संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार	19.4	सदाचार लोक व्यवस्था भारत की संप्रभुता और अखंडता
19 (1) (घ)	भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार	19.5	साधारण जनता के हित में किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए
19 (1) (ङ)	भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार		
19 (1) (छ)	कोई वृत्ति उपजीविका व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार	19.6	साधारण जनता के हित में किसी वृत्ति या व्यापार के लिए तकनीक अर्हताएं निर्धारित करना

अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण

- इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान है
  1. आपराधिक कृत्य के संबंध में किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने कोई कार्य करते समय किसी प्रवृत्त विधि का उल्लंघन नहीं किया है।
  2. न्यायिक संदर्भ में किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा।
  3. अपराधिक कृत्य के संबंध में किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता है।

अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण

1. किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है अन्यथा नहीं।
2. विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया (PROCEDURE ESTABLISHED BY LAW) ब्रिटिश संविधान की विशेषता है।
3. निजता का अधिकार एक मूल अधिकार है।

अनुच्छेद 22 कुछ दशकों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण

- इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को सामान्य दंड विधि के अधीन गिरफ्तार करने पर उसके निम्न अधिकार बताए गए हैं
  1. अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार
  2. अपनी रुचि के वकील से मामला कोर्ट में प्रस्तुत कराने का अधिकार
  3. 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुति का अधिकार। इन 24 घंटों में अवकाश यात्रा में लगा समय शामिल नहीं है।
  4. अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर युक्ति युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है।

अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण

- भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशिष्ट, भाषा लिपि, संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा।

Study Tide
VICS

- अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है।

अनुच्छेद 31 संपत्ति का अनिवार्य अर्जन

संपत्ति के अधिकार को 44 वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 क के तहत एक विधि किया कानूनी अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है।

अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों (CONSTITUTIONAL REMEDIES) का अधिकार

- डॉ. भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा है।
- अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के उल्लंघन पर पांच प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है।

रिट	विषय वस्तु
बंदी प्रत्यक्षीकरण HABEAS CORPUS	1. न्यायालय बंदी करता व्यक्ति को यह आदेश देता है कि वह उक्त व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। 2. यह लोग अधिकारी और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी होती है
परमादेश MANDAMUS	3. इसके माध्यम से न्यायालय किसी लोक अधिकारी सरकारी व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह उस कार्य को करें जिस कार्य को करने हेतु बाध्य है। 4. राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध या लागू नहीं होता है।

रिट	विषय वस्तु
प्रतिषेध PROHIBITION	1. यह किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी की हो सकता है। 2. इस रिट का मुख्य उद्देश्य किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपने अधिकारिता का अतिक्रमण करने से रोकना है। 3. विधायिका, कार्यपालिका या किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था के खिलाफ इसका प्रयोग नहीं होता।
उत्प्रेषण CERTIORARI	यह किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है को रोकने के उद्देश्य से

	जारी की जाती है।
अधिकार पृच्छा QUO WARRANTO	1. **इसकी अर्थ "आपका क्या प्राधिकार है" होता है।** 2. **अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है।**

- भारत में **न्यायाधीश पीएन भगवती** को **जनहित याचिका का जनक** माना जाता है।
- **अनुच्छेद 33 संसद को यह शक्ति प्रदान** करता है कि **वह सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों** एवं अन्य के **मूल अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा** सके।
- **अनुच्छेद 34** के **अंतर्गत भारत के किसी क्षेत्र में यदि सैन्य अधिनियम लागू** है तो संसद को यह **शक्ति** है कि **वह मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती** है।
- **अनुच्छेद 35** के तहत **संसद को केवल** कुछ विशेष **मूल अधिकार प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है** किंतु **यह अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं** है।

Study Tide
VICS

7. राज्य के नीति निर्देशक तत्व
DIRECTIVE PRINCIPLE OF STATE

- संविधान सभा के **सलाहकार बी एन राव** द्वारा सलाह दी गई थी की **अधिकारों को 2 वर्ग में बांटा जाना चाहिए**

1. **वे अधिकार जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तित कराए जा सकते हैं अर्थात मूल अधिकार**
2. **वे अधिकार जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (ENFORCEABLE) नहीं है अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व**

- राज्य के **नीति निर्देशक तत्व** संविधान की **प्रस्तावना में उद्धृत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व की भावना पर आधारित** है।
- राज्य के **नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना** करता है।
- संविधान के **भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन** किया गया है।
- नीति निर्देशक तत्वों का **प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।**

नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण	
तत्व	अनुच्छेद
गांधीवादी तत्व	40, 43, 43 (ख), 46, 47, 48
समाजवादी तत्व	38, 39, 39 (क) 41, 42, 43, 43 (क), 47
उदारवादी तत्व	44, 45, 48, 48 (क), 49, 50, 51

राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किए गए संशोधन

- **42 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से अनुच्छेद 39(क), 43 (क), तथा 48 (क) को शामिल किया गया।**

- **44 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से अनुच्छेद 38 की भाषा में परिवर्तन किया गया।**
- **86 वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया।**
- **57 वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से अनुच्छेद 43 ख में सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया।**

संविधान के भाग 4 में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51

अनुच्छेद	मूल विषय वस्तु
36	नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में राज्य की परिभाषा
37	नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय ना होते हुए भी देश के शासन में मूलभूत माना गया है तथा विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा
38	सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना हो सके आय प्रतिष्ठा सुविधाओं तथा अवसर की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करना।

39	राज्य द्वारा अनुसरण कुछ नीति तत्व है
1.	पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार
2.	समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण एवं स्वामित्व
3.	उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण
4.	स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन।
5.	पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो।
6.	बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधा दी जाए।
39 क	समान अवसर के आधार पर न्याय देना और नि:शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना (39th CA)

40	ग्राम पंचायतों का संगठन
41	कुछ दशाओं में विशेषत: बुढापे, बेरोजगारी, बीमारी अशक्त्ता आदि की दशा में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रभावी प्रावधान करेगा।
42	कार्य की न्याय संगत और माननीय दशाओं का तथा मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध
43	कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास
43 क	उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी के लिए उपयुक्त विधान (42th CA)

44	नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करना
45	6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा तथा उनकी देखभाल (86th CA 2002)
46	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना
47	लोगों के पोषाहार जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार को प्राथमिक कर्तव्य मानना और मादक पेयों व हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास करना।
48	कृषि तथा पशुपालन का संगठन, आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करना तथा गाय, बछड़ों और अन्य दुधारू या वाहक पशुओं की नस्ल का परीक्षण और सुधार करना उनकी वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाना।
48 क	पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन और वन्य जीवो की रक्षा का प्रयास करना (42 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976)
49	राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना
50	राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण हेतु राज्य द्वारा कदम उठाना
51	अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मान पूर्ण संबंधों तथा अंतरराष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता से निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करना।

- वर्तमान में गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है।

Study Index
VICS

8. मूल कर्तव्य
FUNDAMENTAL DUTIES

➢ **भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह**

1. संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।
2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें।
3. **भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें।**
4. देश की रक्षा करे और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे।
5. भारत के **सभी लोगों में समरसता और सामान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें** जो धर्म भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो **ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो।**
6. हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें।
7. **प्राकृतिक पर्यावरण** की जिसके **अंतर्गत झील, नदी और वन्य जीव है रक्षा करें** और **उसका संवर्धन करें** तथा **प्राणी मात्र के प्रति दया भाव** रखें।
8. **वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन** तथा **सुधार की भावना का विकास** करें।
9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे।
10. व्यक्ति और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले।
11. माता-पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि **वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के अपने बच्चे या** प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें।

- **मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं** थे।
- **1975 में बनी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी** की रिपोर्ट की अनुशंसा पर इसे **42 वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा** संविधान में सम्मिलित किया गया।
- **42 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976** द्वारा **भारतीय संविधान में भाग 4 (क) जोड़ा गया** और **अनुच्छेद 51 (क) के तहत 10 मूल कर्तव्यों की सूची का समावेश** किया गया।
- **86 वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया।**
- भारत में **मूल कर्तव्य को भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से अपनाया** गया है।

Study Tide
VICS

- 11 में मूल कर्तव्य में यह प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता-पिता या संरक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि वे स्वयं पर आश्रित बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें।
- भारत सरकार द्वारा मूल कर्तव्यों के प्रचालन के (OPERATIONALISATION OF FUNDAMENTAL DUTIES) संबंध में वर्मा समिति 1999 गठित की गई।
- मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवृत्त नहीं कराए जा सकते हैं अर्थात किसी नागरिक द्वारा अपने मूल कर्तव्य का पालन नहीं किया जा रहा हो तो न्यायालय द्वारा उसे दंडित नहीं किया जा सकता।

Study Tide
VICS

9. कार्यपालिका
EXECUTIVE

संसदीय सरकार की व्यवस्था

- **संघ की कार्यपालिका**
  - **निर्माण**
    - राष्ट्रपति
    - उपराष्ट्रपति
    - प्रधानमंत्री
    - मंत्रिपरिषद
    - महान्यायवादी
- **राज्य की कार्यपालिका**
  - **निर्माण**
    - राज्यपाल
    - मुख्यमंत्री
    - मंत्रिपरिषद
    - महाधिवक्ता

Study Tide
VICS

संघ की कार्यपालिका

EXECUTIVE OF UNION
भाग 5 (अनुच्छेद 52 – 78)

1. भारत का राष्ट्रपति (PRESIDENT OF INDIA)

- संविधान में **संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त** है परंतु **वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री** एवं **उसकी मंत्रिपरिषद** में निहित है।

2. राष्ट्रपति का निर्वाचन

राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल	
शामिल होने वाले सदस्य	शामिल न होने वाले सदस्य
संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य	संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य
राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य	राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य
केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य	राज्य विधान परिषद के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य।
राष्ट्रपति चुनाव संबंधी सभी विवाद उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाया जाता है एवं उसका निर्णय अंतिम होता है।	

3. राष्ट्रपति की पदावधि

1. पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक
2. राष्ट्रपति अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है।
3. राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल पूरा होने से पूर्व महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है।

4. राष्ट्रपति के लिए अर्हताएँ

- कोई व्यक्ति राष्ट्रपति तभी निर्वाचित होगा जब वह
  1. भारत का नागरिक हो
  2. 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो
  3. लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है
  4. किसी लाभ के पद पर ना हो।
  5. राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवारों के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक होने चाहिए अन्यथा वह अपनी उम्मीदवारी खो देगा।

Study Tide
VICS

5. राष्ट्रपति के लिए शर्तें

- वह व्यक्ति जो **संसद के किसी भी सदन का सदस्य अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य है राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उसे सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती** है।
- वह कोई **अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा**
- राष्ट्रपति को **संसद द्वारा निर्धारित** उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे।
- उसकी **उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए** जाएंगे।
- **राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई** जाती है।
- यदि **मुख्य न्यायाधीश नहीं** है तो **ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय के ही वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा** इस कार्य को संपन्न किया जाता है।

6. राष्ट्रपति पर महाभियोग (IMPEACHMENT)

- **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में "संविधान का अतिक्रमण करने"** पर **संसद को यह शक्ति** है **कि वह महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटा** सकता है।
- **महाभियोग संबंधी आरोप संसद के किसी भी सदन में** लगाया जा सकता है लेकिन **शर्तें सिर्फ इतनी होती** है कि **ऐसा करने के लिए 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देना** होता है और **यह नोटिस सदन की कुल संख्या के कम से कम एक चौथाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होने** चाहिए।
- ऐसी स्थिति में **जिस सदन में आरोप लगाया** जाता है उसमें **सदन की कुल सदस्य संख्या के दो तिहाई बहुमत** से **संकल्प पारित कर अगले सदन में भेज दिया** जाता है जिससे इन आरोपों की जांच हो सके।
- **दूसरे सदन में राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है**
- यदि **दूसरे सदन में इन आरोपों को सही** पाया जाता है तो **उस सदन की कुल सदस्य संख्या के दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है।**
- इस प्रकार **महाभियोग की प्रक्रिया पूरी** होती है एवं **राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से पद से हट जाना पड़ता** है।
- **राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया** में **केवल और केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य ही भाग** ले सकते हैं राज्य विधानसभाओं के सदस्य नहीं।
- अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है।
- **महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है।**

7. राष्ट्रपति के पद की रिक्तता

1. 5 वर्ष के कार्यकाल समाप्ति पर
2. राष्ट्रपति के त्यागपत्र देने पर
3. राष्ट्रपति की मृत्यु पर
4. महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाए जाने पर
5. पद के ग्रहण करने की अर्हता न रखने पर निर्वाचन अवैध घोषित होने पर।

8. पद रिक्तता की स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन

- राष्ट्रपति की बीमारी अनुपस्थिति या अन्य कारणों से अपने पद पर कार्य करने की असमर्थता के कारण उपराष्ट्रपति द्वारा कार्यों का निष्पादन किया जाता है अगर उपराष्ट्रपति भी उपस्थित ना हो तो ऐसी स्थिति में मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश की गैर हाजिरी में उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा।
- उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के पुनः पद ग्रहण करने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है।

9. भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले लोग

1. प्रधानमंत्री तथा संघ के अन्य मंत्री
2. महान्यायवादी
3. महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक
4. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
5. मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त
6. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य
7. राज्य के राज्यपाल और उपराज्यपाल एवं प्रशासक
8. वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य

राष्ट्रपति की शक्तियां

1. कार्यकारी शक्ति (EXECUTIVE POWER)

- संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है जिसे वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा प्रयुक्त करता है।

- **राष्ट्रपति को मंत्रणा या सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद** का प्रावधान किया गया है **जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है – अनुच्छेद 74 (1)**
- **राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता** है और **अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से** करता है।
- **राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता** है।
- **राष्ट्रपति, अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों** की **प्रशासकीय शक्ति रखता** है एवं **वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता** है।
- **राष्ट्रपति वित्त आयोग और अन्य आयोग (जैसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों) के लिए आयोग का गठन कर सकता है।**
- राष्ट्रपति, विधायिका के प्रस्ताव एवं संघ के प्रशासनिक कार्यों से संबंधित जानकारी की मांग प्रधानमंत्री से कर सकता है।

2. विधायी शक्तियां LEGISLATIVE POWER

- राष्ट्रपति **संसद की बैठक को बुला सकता** है और **सत्रावसान कर सकता** है।
- **लोकसभा का विघटन कर सकता** है एवं **संसद के संयुक्त अधिवेशन का आवाहन कर सकता** है।
- **प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन** और **प्रत्येक ने चुनाव के बाद राष्ट्रपति संसद को संबोधित करता** है।
- संसद में **कुछ विशेष प्रकार के विधायकों को प्रस्तुत** करने के लिए **राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता** होती है। जैसे – **धन विधेयक और राज्यों के नाम और सीमा परिवर्तन से संबंधित विधेयक।**
- यदि कोई विधेयक **संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है** तो वह उसे
    1. **स्वीकृति दे सकता है,**
    2. **अपनी स्वीकृति सुरक्षित रह सकता है,**
    3. **विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है।**
- **धन विधेयक को राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है।**
- **अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर** सकता है।
- **नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग** और **अन्य की रिपोर्ट संसद के समक्ष** रखता है।

3. न्यायिक शक्तियां (JUDICIAL POWER)

- राष्ट्रपति **उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश** एवं **अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति** करता है साथ ही **राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति** करता है।
- **राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय** से **सलाह ले सकता** है परंतु **न्यायालय का सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती** है।
- **अनुच्छेद 72** के तहत **राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति को क्षमा** अर्थात **दंडादेश का निलंबन, प्राणदंड, स्थगन, राहत और माफी** प्रदान कर सकता है।
- **आपातकालीन शक्तिया**, आपातकालीन स्थिति, से निपटने के लिए **भारत के राष्ट्रपति को तीन परिस्थितियों** में सत्या प्रदान की गई
  1. **राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में अनुच्छेद – 352**
  2. **राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में अनुच्छेद – 356 – 365**
  3. **वित्तीय आपात के संदर्भ में अनुच्छेद – 360**

4. राष्ट्रपति की वीटो शक्ति (VETO POWER)

- **संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत विधेयक** के संदर्भ में **राष्ट्रपति के पास तीन विकल्प** होते हैं
  1. **अपनी सहमति दे दे**
  2. **अपनी सहमति को सुरक्षित रख ले**
  3. **विधेयक धन विधेयक को छोड़कर पुनर्विचार के लिए**

संसद को वापस लौटा दे। ऐसी स्थिति में यदि संसद विधेयक में संशोधन किये अथवा बिना संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी सहमति देनी ही पड़ती है। - निलंबनकारी वीटो

5. अध्यादेश (ORDINANCE) की अवधि

- **अध्यादेश संसद की पुनः बैठक होने** पर **दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत** किया जाता है।
- यदि **संसद के दोनों सदन अध्यादेश को पारित कर देते हैं** तो **अध्यादेश कानून का रूप ले** लेता है।
- **यदि संसद द्वारा इस पर कार्रवाई नहीं की जाती** है तो **संसद की दोबारा बैठक के 6 सप्ताह बाद** यह **अध्यादेश समाप्त हो** जाएगा
- यदि **संसद के दोनों सदन अध्यादेश पर निरनुमोदन** कर दें तो यह निर्धारित **6 सप्ताह की अवधि से पहले ही समाप्त** हो जाएगा।

- किसी **अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने तक हो** सकती है एवं **संसद की मंजूरी न मिलने पर छह हफ्तों** की होती है।

6. राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति

- भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति ने दोषी करार दिए गए व्यक्ति की सजा को क्षमा कर सकता** है
    1. **संघीय विधि के विरुद्ध दंडित व्यक्ति को**
    2. **सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति को**
    3. **मृत्युदंड पाए हुए व्यक्ति को**

राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति	
लघु करण COMMUTE	सजा की प्रकृति को बदलना जैसे – मृत्यु दंड को कठोर कारावास में परिवर्तित करना
परिहार REMIT	सजा की मात्रा को बदलना जैसे – 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष में बदलना
विराम RESPITE	विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा कम करना जैसे - महिलाओं की गर्भावस्था की अवधि के कारण
प्राविलंबन SUSPEND	किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया जैसे – फांसी के संदर्भ में फांसी को डालने के लिए
क्षमा	पूर्णत: माफ कर देना

	राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद
अनुच्छेद	मूल विषय वस्तु
53	संघ की कार्यपालिका शक्ति
55	राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति
60	राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण
61	राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया
72	राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति
74	मंत्री परिषद का राष्ट्रपति को सलाह एवं सहयोग प्रदान करना
111	संसद द्वारा पारित विधेयक पर सहमति प्रदान करना वीडियो की शक्ति
112	वार्षिक वित्तीय विवरण
123	अध्यादेश जारी करने की शक्ति

143	राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति

भारत के राष्ट्रपति	
विजयी उम्मीदवार	निर्वाचन वर्ष
डॉ राजेंद्र प्रसाद	1952
डॉ राजेंद्र प्रसाद	1957
डॉ एस राधाकृष्णन	1962
डॉ जाकिर हुसैन	1967
वीवी गिरी	1969
फखरुद्दीन अली अहमद	1974
नीलम संजीव रेड्डी	1977
ज्ञानी जैल सिंह	1982
आर वेंकटरमन	1987
डॉ शंकर दयाल शर्मा	1992
के आर नारायणन	1997
डॉ एपीजे अब्दुल कलाम	2002
डॉक्टर श्रीमती प्रतिभा पाटिल	2007
प्रणव मुखर्जी	2012
रामनाथ कोविंद	2017

Study Tide
VICS

भारत का उपराष्ट्रपति
VICE PRESIDENT OF INDIA

- भारतीय कार्यपालिका व्यवस्था के अंतर्गत **उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से प्रेरित है।**
- **अधिकारी क्रम में उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद है।**
- **उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति** होता है।
- **अब तक कुल 13 उपराष्ट्रपति हुए हैं।**

1. उपराष्ट्रपति बनने की अर्हताएँ

1. **35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो**
2. **भारत का नागरिक हो एवं**
3. **राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो**
4. **केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर ना हो।**
5. **उपराष्ट्रपति के पद नामांकन के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक की आवश्यकता** होती है।

2. उपराष्ट्रपति का निर्वाचन

- उपराष्ट्रपति का **निर्वाचन राष्ट्रपति की भांति अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से** होता है।
- इसके **निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं।**
- **राज्य विधान सभा के सदस्य शामिल नहीं होते।**
- **उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत** द्वारा

3. उपराष्ट्रपति की पदावधि

i. **पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक**
ii. **किसी भी समय वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता**
iii. **राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है इसके लिए शर्त सिर्फ इतनी होती है कि 14 दिन पूर्व नोटिस दिया गया हो।**

VICS
विवेकानंद इंस्टिट्यूट
For Civil Services
Mob – 9993259075, 8815894728
203, Pearl Business Park Vishnupuri, Indore

4. उपराष्ट्रपति पद की रिक्तता

i) पदावधि 5 वर्ष समाप्ति पर
ii) त्यागपत्र देने पर
iii) बर्खास्त किए जाने पर मृत्यु पर निर्वाचन की वैधता पर

5. उप राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य

- **राज्यसभा के पदेन सभापति** के रूप में **उसकी शक्तियां एवं कार्य लोकसभा अध्यक्ष की तरह** होती है।
- **राष्ट्रपति के रूप में** जब **उपराष्ट्रपति को कार्य करने का अवसर प्राप्त होता** है वह **कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य** करता है **राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं** करता।
- **कार्यवाहक राष्ट्रपति** के रूप में **वह अधिकतम 6 माह की अवधि तक कार्य कर सकता** है क्योंकि तब तक नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होना तय रहता है।
- **उपराष्ट्रपति को जो वेतन** मिलता है वह **राज्यसभा के पदेन सभापति होने की वजह से मिलता** है।
- **उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों** का **निपटारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा** किया जाता है एवं **न्यायालय का निर्णय सर्वमान्य होता है**

उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद	
अनुच्छेद	**विषय वस्तु**
63	भारत का उपराष्ट्रपति
64	उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना
69	उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण
70	उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन से

भारत का प्रधानमंत्री

PRIME MINISTER OF INDIA

- **अनुच्छेद 75(1) राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान** करता है।
- लोकसभा के निर्वाचन के बाद राष्ट्रपति **बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त** करता है एवं **स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति** में **राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए सबसे बड़े दल के किसी नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर** सकता है।
- **अब तक कुल 16 प्रधानमंत्री हुए हैं।**

  वे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने उनका नाम निम्नलिखित है
- **इंदिरा गांधी (1966) एच डी देवगौड़ा (1996) डॉ मनमोहन सिंह (2004 और 2009) में राज्यसभा के सदस्य** थे।
- **प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति** दिलाता है
- **प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत कार्य करता** है परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रधानमंत्री को जब चाहा कभी बर्खास्त कर दिया जाए।
- **राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकता है जब प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बहुमत खो दे।**
- इसके **अलावा प्रधानमंत्री का कार्यकाल सामान्यत: 5 वर्ष का** होता है और **उसके पहले यदि प्रधानमंत्री चाहे** तो **अपना त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है।**
- ऐसी **स्थिति में पूरे मंत्री परिषद को बर्खास्त होना** पड़ता है।
- यदि **प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तो भी पूरी मंत्री परिषद बर्खास्त हो जाती है**
- **भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की शक्तियों का उल्लेख नहीं** है।

वे प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं	
मुख्यमंत्री	**राज्य**
मोरारजी देसाई	मुंबई
चौधरी चरण सिंह	अविभाजित उत्तर प्रदेश (दो बार)
वीपी सिंह	उत्तर प्रदेश
पी वी नरसिम्हा राव	आंध्र प्रदेश
एच डी देवगौड़ा	कर्नाटक
नरेंद्र मोदी	गुजरात

प्रधानमंत्री की प्रमुख शक्तियां एवं कार्य निम्नलिखित हैं

1. मंत्री परिषद के संदर्भ में नीति निर्माता के रूप में

1. **प्रधानमंत्री भी एक मंत्री होता** है परंतु वह **अपने समकक्ष मंत्रियों में प्रधान होता है**
2. प्रधानमंत्री **मंत्रीपरिषद की बैठक की अध्यक्षता** करता है एवं उचित दिशा निर्देश देता है
3. प्रधानमंत्री **किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने** अथवा **राष्ट्रपति से उस को बर्खास्त करने की सलाह दे सकता** है।
4. प्रधानमंत्री **स्वयं त्यागपत्र देकर पूरी मंत्री परिषद को बर्खास्त** कर सकता है।

2. राष्ट्रपति के संदर्भ में

- संघ के प्रशासन और विधान से संबंधित ऐसी सूचनाओं को प्रदान करें जिसकी राष्ट्रपति मांग करें।
- प्रधानमंत्री **राष्ट्रपति को सलाह एवं परामर्श देकर विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति** करवाता है जैसे
  1. **भारत का महान्यायवादी**
  2. **महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक**
  3. **संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्य**
  4. **वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं उसके सदस्य**

3. संसद के संबंध में

- प्रधानमंत्री **लोकसभा का नेता** होता है।
- राष्ट्रपति को **सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान** करने संबंधी प्रामर्श देता है।
- **लोकसभा के विघटन** की **सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा किसी भी समय राष्ट्रपति से की जा सकती** है।

निम्नलिखित का अध्यक्ष होता है

1. **प्रधानमंत्री नीति आयोग**
2. **राष्ट्रीय विकास परिषद**
3. **अंतर्राज्यीय परिषद**
4. **राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद एवं**
5. **राष्ट्रीय एकता परिषद**

- प्रधानमंत्री **सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख** होता है जबकि **राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर** होता है

Study Fide
VICS

- **आपातकाल के दौरान** राजनीतिक स्तर पर **आपदा प्रबंधन का सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री होता है।**

मंत्री परिषद
COUNCIL OF MINISTERS

संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 74 – राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद**
- **अनुच्छेद 75 – मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध**
- **मंत्री परिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो** सकती **(91 वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003)**।
- प्रधानमंत्री भी इसी 15% में शामिल है।
- **दल बदल के आधार पर संसद सदस्य की अयोग्यता की स्थिति** में **मंत्री पद के लिए भी वह मंत्री अयोग्य** हो जाता है।
- **राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ** दिलाई जाती है एवं यह **मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत कार्य करते हैं।**

1. अनुच्छेद 88 –

सदन में मंत्रियों के अधिकार

- मंत्री के पास **किसी भी सदन में बोलने** एवं **कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार** होता है।
- **उच्च सदन की संयुक्त बैठक** तथा **संसदीय समिति जिसका उसे सदस्य बनाया गया** हो की बैठक में भाग लेने का अधिकार होता है।

2. मंत्रियों का उत्तरदायित्व

सामूहिक उत्तरदायित्व	व्यक्तिगत उत्तरदायित्व	विधिक उत्तरदायित्व
लोकसभा के प्रति	राष्ट्रपति के प्रति	कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं

3. मंत्री परिषद की संरचना

- **मंत्री परिषद में मंत्रियों की तीन श्रेणियां होती है**
- **कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री।**

Study Tide
VICS

भारत का महान्यायवादी

ATTORNEY GENERAL OF INDIA

- **संविधान के अनुच्छेद 76 के** अंतर्गत **भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान** किया गया है।
- **राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति** होती है एवं **यह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता** है।
- **यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी** होता है **जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता** है।
- यह **भारत सरकार को विधि मामले में ऐसे विषयों पर सलाह** देता है **जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए** हैं।
- क्योंकि यह **राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण** करता है तो इसके **कार्यकाल की कोई निश्चित अवधि नहीं** है।

शक्तियां

- भारत के **किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार रखता** है
- संसद के **दोनों सदनों एवं समितियों में जा सकता** है **(मतदान देने का अधिकार नहीं है।)**
- **महान्यायवादी को संसदीय विशेषाधिकार** अर्थात **सांसदों को मिलने वाले सारे अधिकार** मिलते हैं।

कार्यकाल की समाप्ति

- **राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने पर राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर सरकार मंत्री परिषद द्वारा त्यागपत्र देने पर।**

Study Tide

शपथ एवं त्यागपत्र		
पद	शपथ	त्यागपत्र
राष्ट्रपति	मुख्य न्यायाधीश	उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति
राज्यपाल	राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश	राष्ट्रपति
मुख्य न्यायाधीश	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति
लोकसभा अध्यक्ष	शपथ नहीं होता है	उपाध्यक्ष

राज्य की कार्यपालिका

A. राज्यपाल

- संविधान के **भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका के बारे में प्रावधान** है।
- राष्ट्रपति की तरह **राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता** है और **राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री की सलाह से कार्य करता** है।
- संविधान के **अनुच्छेद 154 में प्रावधान है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित** होगी तथा वह शक्ति का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा।
- संविधान के **अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता** है।
- **राज्यपाल राज्य का प्रमुख** होने के साथ-साथ **केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य** करता है।
- संविधान के **अनुसार एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया** जा सकता है।

1. योग्यताएं

1. **भारत का नागरिक हो**
2. **35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो**
3. **किसी राज्य अथवा संघ सरकार के अंतर्गत लाभ का पद ना धारण करता हो**
4. **वह संसद अथवा विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए।**

2. शपथ

- संविधान के **अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल को शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष** लेनी होती है।
- संविधान के **अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा।**

Study Tide
VICS

1. राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य

कार्यकारी शक्तियां

- राज्य सरकार के **सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप** से **राज्यपाल के नाम** से होते हैं।
- वह **मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद के सदस्यों को नियुक्त** करता है।
- **राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राज्य के महाधिवक्ता राज्य के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य वित्त आयोग राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।**
- **राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं अपितु राष्ट्रपति के पास** है।
- **राज्यपाल राष्ट्रपति** से राज्य में **संवैधानिक आपातकाल** के लिए सिफारिश कर सकता है।

2. वित्तीय शक्तियां

- राज्यपाल **पंचायतों एवं नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति** की समीक्षा के लिए **प्रत्येक 5 वर्ष राज्य पर वित्त आयोग** का गठन करता है।
- **राज्यपाल के बिना पूर्व अनुमति के धन विधेयक को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।**

3. न्यायिक शक्तियां

- **राज्यपाल को राष्ट्रपति की भांति राज्य सूची** के विषय पर **क्षमादान की शक्तियां** प्राप्त है।
- राज्यपाल किसी **दोषी व्यक्ति के दंड को कम कर** सकता है **दंड की प्रकृति में परिवर्तन कर** सकता है।
- राज्यपाल **उच्च न्यायालय के साथ विचार कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति स्थानांतरण और प्रोन्नति** कर सकता है।

4. विवेकाधीन शक्तियां

1. **किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना।**
2. **राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना।**
3. **राज्य के विधान मंडल एवं प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी मांगना।**
4. **मंत्री परिषद के अल्पमत में आने पर राज्य विधानसभा को विघटित करना।**

5. राज्यपाल की वीटो शक्ति

1. विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दे
2. विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख ले
3. विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के पास वापस भेज दे। यदि विधान मंडल द्वारा विधेयक में संशोधन किये अथवा बिना किए पुन: राज्यपाल के पास भेज दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है।
4. राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है।

राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद	
अनुच्छेद	विषय वस्तु
153	राज्यों में राज्यपाल
154	राज्य की कार्यपालिका शक्ति
155	राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति
161	क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडा देश के निलंबन परिहार या लघु करण की राज्यपाल की शक्ति।
163	मंत्री परिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना
200	विधेयक पर अनुमति देना रोकना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना
201	राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देना या रोक लेना
213	राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति।

Study Tide
VICS

B. मुख्यमंत्री

- **अनुच्छेद 164** में प्रावधान है कि **राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करेगा।**
- संसदीय व्यवस्था में **राज्यपाल राज्य विधानसभा से बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त** करता है।
- **मुख्यमंत्री को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलवाता** है।
- **मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं** होता परंतु **सामान्यत: 5 वर्ष तक राज्यपाल के प्रसादपर्यंत अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करता है।**
- राज्यपाल द्वारा **मुख्यमंत्री को तभी बर्खास्त** किया जा सकता है जब **मुख्यमंत्री विधानसभा में अपना बहुमत खो दें।**
- **मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण राज्य विधानमंडल करती है।**

2. मुख्यमंत्री की शक्तियां एवं कार्य मंत्री परिषद के संदर्भ में

1. **मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है।**
2. **मुख्यमंत्री मंत्रियों के विभागों का वितरण एवं फेरबदल करता है तथा निगरानी भी करता है।**
3. **मतभेद की स्थिति में वह किसी भी मंत्री से उसका त्यागपत्र ले सकता है अथवा राज्यपाल को सलाह देकर उसे बर्खास्त करवा सकता है।**
4. **मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र देकर पूरी मंत्री परिषद को बर्खास्त कर सकता है**

3. राज्यपाल के संबंध में

- **राज्यपाल को मंत्री परिषद के सभी निर्णय और इससे संबंधित जानकारी जो राज्यपाल मांग करें उसे देता है।**
- **मुख्यमंत्री राज्य के महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देता है।**

4. राज्य विधान मंडल के संदर्भ में

- **राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने एवं उसे स्थगित करने के संदर्भ में सलाह देना**
- **मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा को किसी भी समय विघटित करने की सिफारिश करना**
- **सभा पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करना**

5. अन्य

1. मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है।
2. मुख्यमंत्री अंतर राज्य परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।
3. वह संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है जिसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है।
4. व राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है।

C. राज्य मंत्री परिषद

- **राज्यपाल के परामर्श** तथा **सहायता के लिए भारतीय संविधान में मंत्री परिषद की व्यवस्था** की गई है।
- **मंत्री परिषद की संरचना**
    - कैबिनेट मंत्री
    - राज्य मंत्री
    - उप मंत्री
- **मंत्री परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता** है परंतु **विधानसभा में अपना बहुमत होने के पश्चात मंत्री परिषद अपनी निश्चित अवधि से पहले ही विघटित** हो जाता है।
- **अनुच्छेद 365** के तहत **जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता** है **तो मंत्री परिषद भंग हो जाती** है।
- **मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल द्वारा मंत्री परिषद को भंग किया जा सकता है।**

मंत्री परिषद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद	
अनुच्छेद	विषय वस्तु
163	राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान
166	राज्य सरकार के कार्य का संचालन
167	मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचना देने का कर्तव्य

D. महाधिवक्ता

- भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 165** के अनुसार **राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति** की जाती है।
- राज्य का **सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता** होता है।
- **महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसादपर्यंत कार्य करता** है।

- महाधिवक्ता **उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की अर्हता** रखता है।

उत्तरदायित्व

- राज्य सरकार को **विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना** जो **राज्यपाल को सौंपी गए** हैं।
- राज्य का **महाधिवक्ता विधानसभा की कार्यवाही में** भाग ले सकता है **बोल सकता** है परंतु **मतदान में का अधिकार नहीं** होता।
- उसे भी **सभी विशेषाधिकार तथा वेतन और भत्ते दिए जाते हैं जो विधानमंडल के किसी सदस्य को मिलते** हैं।

10. विधायिका

संघीय विधायिका

FEDERAL LEGISLATURE

- **संसदीय शासन व्यवस्था** के अंतर्गत **केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को** अपनाया गया है।
- **केंद्र में दो सदन** होते हैं **राज्यसभा (उच्च सदन) और लोकसभा (निम्न सदन)**
- लोकसभा के **सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से** जनता करती है और **यह एक अस्थाई सदन** है।
- **लोकसभा को कभी भी भंग किया जा** सकता है।
- राज्यसभा **एक स्थाई सदन** है अर्थात **इसका विघटन नहीं** होता है।

- लोकसभा संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है तो राज्यसभा केंद्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है।

1. राज्यसभा

- भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 80 राज्य सभा के गठन** का प्रावधान करता है।
- राज्य सभा के सदस्यों की **अधिकतम संख्या 250 हो सकती है परंतु वर्तमान में यह 245 है।**
- इनमें से **राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध में** विशेष ज्ञान रखने **वाले 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है।**
- प्रत्येक राज्य से कितने सदस्य होंगे इसका निर्धारण राज्य विशेष की जनसंख्या के आधार पर होता है।
- वर्तमान समय में **उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक (31) है।**

राज्यसभा के सदस्य होने की अर्हता

1. **भारत का नागरिक हो**
2. **30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो**
3. **किसी लाभ के पद पर ना हो**
4. **विकृत मस्तिष्क का ना हो।**

- राज्यसभा **एक स्थाई सदन** है अर्थात **राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है।**
- राज्यसभा के **सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता** है इस सदन का **प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना जाता** है एवं **प्रत्येक 2 वर्ष के बाद एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त** हो जाते हैं।
- भारत का **उप राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति** होता है **जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है।**
- राज्यसभा के **सभापति को हटाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना** के साथ **राज्यसभा में प्रस्ताव पास किया जाता** है।

राज्यसभा की शक्तियां एवं कार्य

- **गैर वित्तीय विधेयक** के संदर्भ में **लोकसभा की भांति राज्यसभा को भी उतनी ही शक्ति प्राप्त** है। **ऐसे विधेयक दोनों सदनों की सहमति के बाद ही कानून बनते हैं।**
- **संविधान संशोधन विधेयकों** के संदर्भ में **राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा की शक्तियों के बराबर है।**
- **धन विधेयक के संदर्भ में** राज्यसभा को **14 दिनों के भीतर विचार करके अपनी राय लोकसभा को भेजनी होती है।**

- **अनुच्छेद 249** के अंतर्गत **राज्यसभा राज्य सूची में शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर** सकती है।
- **अनुच्छेद 312** के तहत **राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले दो तिहाई सदस्यों के समर्थन** से कोई **नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित कर सकती है।**

2. लोकसभा

- भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 81 लोकसभा के गठन का प्रावधान** करता है।
- लोकसभा में **अधिकतम सदस्यों की संख्या 552** हो सकती है।
- **अनुच्छेद 331** के तहत यदि **राष्ट्रपति की राय में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं** है तो वह **उस समुदाय की अधिकतम दो प्रतिनिधियों को मनोनीत कर सकता** है।
- लोकसभा के **सदस्यों का चुनाव प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली** के आधार पर **एकल निर्वाचन क्षेत्र में जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन** से होता है।
- लोकसभा के सदस्यों का **निर्वाचन सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार (18 वर्ष) के आधार पर** होता है।

लोकसभा के सदस्यों की अर्हता

1. **वह भारत का नागरिक हो**
2. **25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो**
3. **भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो।**

- लोकसभा की **अवधि 5 वर्ष की होती** है।
- लोकसभा राज्यसभा की तरह **स्थाई सदन नहीं है** अर्थात **इस का विघटन 5 वर्ष या इससे पहले हो सकता है।**
- **प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद द्वारा राष्ट्रपति को सलाह देने पर राष्ट्रपति लोकसभा को निश्चित अवधि से पहले ही भंग कर सकता है।**

लोक सभा के पदाधिकारी

- लोकसभा का **अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य** होता है।
- लोकसभा **अध्यक्ष की अलग से किसी शपथ की व्यवस्था का प्रावधान नहीं** है वह **लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता** है।
- यदि लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उपाध्यक्ष उसकी भूमिका का निर्वाह करता है।
- लोकसभा में **मतभेद की अवस्था में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम** होता है।
- **कोई विधेयक, धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है।**

Study Tide
VICS

- दोनों सदनों में किसी **विधेयक के संदर्भ में गतिरोध की स्थिति** में सदनों की **संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष** करता
- किसी **प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ने पर लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत दे सकता** है।
- **दल बदल विरोधी कानून** के तहत **लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार** है कि वह **किसी सदस्य के संबंध में दल बदल संबंधी शिकायत मिलने पर उसकी निर्रहता पर फैसला** करें।
- लोक सभा की बैठक के लिए **गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कम से कम 1 / 10 होता** है जिसे **कोरम** कहते हैं।
- **प्रोटेम स्पीकर** की **नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा** की जाती है जो सामान्यत: **लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य** होता है।
- **प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों का शपथ ग्रहण करवाता** है तत्पश्चात **इसका पद स्वत: समाप्त हो जाता है।**
- **लोकसभा महासचिव को चुनने और नियुक्त करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष** को है।
- **महासचिव एक प्रशासनिक पद** होता है जो **सदन से संबंधित सभी प्रशासनिक कार्यवाही का संचालन करता** है

लोकसभा की शक्तियां एवं कार्य

- **सभी प्रकार के विधेयकों के मामले में लोकसभा को राज्यसभा के समान या उससे ज्यादा शक्तियां प्राप्त** है।
- **धन विधेयक (अनुच्छेद 110)** तथा **वित्त विधेयक प्रकार एक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तावित** किए जा सकते हैं।
- **किसी विधेयक के संदर्भ** में **दोनों सदनों में गतिरोध** होने की **स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई** जाती है जिसकी **अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता** है।
- **संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108** में है।
- **संविधान संशोधन तथा धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी मामलों में संयुक्त बैठक बुलाए जाने का प्रावधान** है।
- **कार्यपालिका पर लोकसभा का प्रभावी नियंत्रण** होता है।
- **कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है।**
- **सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए** लोकसभा की सहमति आवश्यक है।

- लोकसभा **राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती** है तथा **राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रस्ताव पारित कर सकती** है।

संसद में नेता

- **सदन के नेता** से अभिप्राय **सामान्यतः प्रधानमंत्री** से होता है परंतु प्रधानमंत्री सदन के नेता के रूप में किसी मंत्री को भी नियुक्त कर सकता है।
- **संविधान में इस पद का कोई उल्लेख नहीं** है।
- **सदन के नियम एवं संविधि में उल्लेख** है।
- संसद के **दोनों सदनों में एक-एक विपक्ष का नेता** होता है।
- लोकसभा के **विपक्ष के नेता का पद लोकसभा के स्पीकर द्वारा** दिया जाता है।
- **विपक्ष के नेता** का दर्जा प्राप्त करने के लिए **प्रत्येक सदन में कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना आवश्यक** है।
- **लोकपाल, मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग और मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति** के लिए विपक्ष के नेता की सहमति आवश्यक होती है।
- प्रत्येक **राजनीतिक दल का संसद में अपना व्हिप** होता है चाहे वह **सत्ता में हो अथवा विपक्ष में।**
- इसकी नियुक्ति राजनीतिक दलों द्वारा सदन में के सहायक नेता के रूप में की जाती है।
- **इस पद का उल्लेख ना तो संविधान में है और ना ही संसद के नियम एवं संविधि में।**

संसद के सत्र

- भारत में साधारणतः वर्ष में 3 बार संसद के सत्र आयोजित होते हैं
  1. **बजट सत्र (फरवरी से मई)**
  2. **मानसून सत्र (जुलाई से अगस्त)**
  3. **शीतकालीन सत्र (नवंबर से दिसंबर)**
- संसद के **दो सत्रों के मध्य किसी भी स्थिति में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं** होना चाहिए।
- **संसद के सत्र को राष्ट्रपति समय-समय पर आहूत करता** है।
- **लोकसभा के चुनाव के पश्चात पहले सत्र की शुरुआत पर एवं प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत पर राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित** करता है।
- वर्तमान लोकसभा के **वे सदस्य जो नई लोकसभा हेतु निर्वाचित नहीं हो पाते हैं लेम डक कहलाते हैं।**
- **स्थगन (ADJOURNMENT) द्वारा** सदन को **कुछ मिनट घंटों या कुछ दिनों के लिए निलंबित किया जाता** है।
- **सदन को स्थगित करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी** के पास होता है।

- स्थगन द्वारा **केवल बैठक को निलंबित** किया जाता है **संसद के सत्र को नहीं।**
- संसद के किसी **सत्र का समाप्त होना सत्रावसान** कहलाता है।
- **सत्रावसान (PROROGATION) राष्ट्रपति द्वारा घोषित** किया जाता है **पीठासीन अधिकारी द्वारा नहीं।**
- **विघटन (DISSOLUTION) सदन को ही समाप्त कर** देता है।
- **लोकसभा को विघटित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास** होती है
- लोकसभा का **विघटन निम्नलिखित दो कारणों से** हो सकता है

1. **यदि लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया हो**
2. **यदि राष्ट्रपति किसी विशेष कारण से कार्यकाल पूरा होने के पहले लोकसभा को विघटित करने का निर्णय करें। यह स्थिति प्रायः तब आती है जब सरकार लोकसभा में अपना बहुमत खो दें।**

विघटन का विधायकों पर प्रभाव

- लोकसभा के **विघटन से विभिन्न प्रस्ताव, संकल्प, नोटिस** इत्यादि **समाप्त हो जाते** हैं।
- जो **विधेयक लोकसभा में लंबित** हैं अथवा **लोकसभा से पारित हो चुके** हैं किंतु **राज्यसभा में लंबित है ऐसे सारे विधेयक लोकसभा के विघटन से समाप्त हो** जाते हैं।
- जो **विधेयक राज्यसभा से शुरू हुआ** और **राज्यसभा में ही लंबित** है किंतु **लोकसभा द्वारा पारित नहीं** किया गया है यह **विधेयक समाप्त नहीं** होते हैं।
- **राष्ट्रपति के पास भेजा गया विधेयक यदि राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस लौटाया गया** हो तो **ऐसे विधेयक लोकसभा के विघटन के पश्चात समाप्त नहीं** होते।
- किसी **विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के गतिरोध की स्थिति** में यदि **संयुक्त बैठक बुलाई गई** हो तो भी **लोकसभा के विघटन पर विधेयक समाप्त नहीं होता है।**

➢ **विधेयक के प्रकार**

1. **साधारण विधेयक**
2. **धन विधेयक अनुच्छेद 110**
3. **वित्त विधेयक अनुच्छेद 117**
4. **संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368**

➢ **संविधान संशोधन विधेयक** के लिए **राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं** होती।

➢ यह **विधेयक दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रारंभ** किया जा सकता है।

➢ यह **विधेयक दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रारंभ किया** जा सकता है।

➢ **धन विधेयक हो सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता** है।

➢ **विनियोग विधेयक एक प्रकार का धन विधेयक** है।

Study Tide VICS

बजट पारित करने की प्रक्रिया

1. बजट का प्रस्तुतीकरण
2. आम बजट
3. विभागीय समितियों द्वारा जांच
4. अनुदान की मांग पर मतदान
5. विनियोग विधेयक को पारित होना
6. वित्त विधेयक का पारित होना।

बजट में व्यय का वर्गीकरण

1. **भारत की संचित निधि पर भारित व्यय**
   - इसके संबंध में **सदन में केवल चर्चा की जा सकती है मतदान नहीं।**
   - **संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के वेतन और भत्ते इसी निधि से दिए जाते हैं।**
2. **भारत की संचित निधि से किए जाने वाले व्यय**
   - **सदन में चर्चा भी की जा सकती** है एवं इसका **लोकसभा में मतदान द्वारा पारित होना भी जरूरी** है।

विभिन्न प्रकार की निधियां

1. **भारत की संचित निधि**
   - इसका **उल्लेख अनुच्छेद 266 में** किया गया है।
   - भारत सरकार को प्राप्त होने वाला सारा धन इसी में जमा होता है।
2. **भारत का लोक लेखा**
   - इसका **उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 266** में किया गया है।
   - सामान्यतः इसका **संबंध बैंक जमा राशियों, बचत, भविष्य निधि जमा राशियों आदि से होता** है।
3. **भारत की आकस्मिक निधि**
   - इसका **उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 267** में किया गया है।
   - राष्ट्रपति की ओर से **भारत सरकार का वित्त सचिव इसका संचालन करता** है।

संसदीय समितियां

- भारत में **मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के आधार पर 1921 में संसदीय समितियां अस्तित्व में** आई थी।

➢ **संसदीय समितियों के प्रकार**

1. **स्थाई समिति**
   - **वित्तीय समिति या अन्य स्थाई समितियां**
     - ❖ **लोक लेखा समिति**

- ❖ प्राक्कलन समिति
- ❖ लोक उपक्रम समिति
- ❖ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति
- ❖ कार्य मंत्रणा समिति
- ❖ विशेषाधिकार समिति
- ❖ विभागीय समिति

2. अस्थाई या तदर्थ समिति

- **किसी विशेष प्रयोजन के लिए तदर्थ समिति का निर्माण किया जाता है और जब कार्य पूरा हो जाता है तो यह समिति समाप्त हो जाती है।**
  - ✓ **जांच समितियां, सलाहकार समितियां**

प्रमुख स्थाई समितियां

1. लोक लेखा समिति (PUBLIC ACCOUNT COMMITTEE)

- यह **भारत की सबसे पुरानी वित्तीय समिति** है जिसमें **कुल 22 सदस्य होते हैं।**
- इसके सदस्यों में **15 सदस्य लोकसभा एवं 7 सदस्य राज्यसभा** से होते हैं किस का **कार्यकाल 1 वर्ष का** होता है।
- यह समिति **सरकार के वार्षिक लेखों की जांच कर सरकार को संसद के प्रति उत्तरदाई बनाती** है।
- यह समिति **भारत सरकार के लेखों के संदर्भ** में **नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दी गई रिपोर्ट पर विचार** करती है।
- इस **समिति का अध्यक्ष कोई विपक्षी दल का नेता** चुना जाता है जिसका **चुनाव लोकसभा अध्यक्ष** करता है।
- इस **समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन** कहते हैं।

2. प्राक्कलन समिति (ESTIMATE COMMITTEE)

- स्वतंत्रता के पश्चात **पहली बार जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950** में पहली **प्राक्कलन समिति का गठन** किया गया।
- इसके सदस्यों की संख्या 30 होती है जो लोकसभा से होते हैं।
- इसे स्थाई मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है।

VICS Study Tide

- यह समिति सरकार के वित्तीय कामकाज से संबंधित है जिसका प्रमुख कार्य वार्षिक अनुदान की जांच करना है।

3. लोक उपक्रम समिति

- इस समिति का **गठन पहली बार 1964 में कृष्ण मेनन समिति** के सुझाव पर किया गया।
- इसके **सदस्यों की संख्या 22 होती** है जिसमें **15 सदस्य लोकसभा से एवं 7 सदस्य राज्यसभा से चुने** जाते हैं।
- प्रत्येक समितियों के **सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत द्वारा** होता है

4. विभागीय स्थाई समितियां

- इस प्रकार की **समितियों की संख्या कुल 24** है।
- प्रत्येक **विभागीय समितियों में अधिकतम 31 सदस्य** होते हैं जिसमें **21 का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष** द्वारा **एवं 10 का मनोनयन राज्यसभा के सभापति द्वारा** किया जाता है।
- **कुल 24 समितियों में से 16 समितियां लोकसभा के अंतर्गत** एवं **आठ समितियां राज्यसभा के अंतर्गत कार्य** करती है।

विधानमंडल

विधान परिषद

- **विधान परिषद** राज्य **विधानमंडल का उच्च सदन** होता है।
- **अनुच्छेद 169 के अनुसार** किसी रा**ज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत** से प्रस्ताव पारित करें तो संसद उस **राज्य में विधान परिषद स्थापित कर सकती है अथवा उसका लोप कर सकती है।**
- **वर्तमान में केवल 6 राज्य उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना** में **विधान परिषद में विद्यमान** है।
- **विधान परिषद की कुल सदस्यों की संख्या** उस राज्य की **विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की एक तिहाई से अधिक नहीं** हो सकती है। किंतु **किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं** होगी।
- **विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष**
- विधान परिषद के प्रत्येक **सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता** है किंतु प्रति **दूसरे वर्ष एक तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण** करते हैं और उनके स्थान पर **नवीन सदस्य निर्वाचित होते** हैं।

- विधान परिषद के **सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति** द्वारा होती है।

सदस्यों का निर्वाचन मंडल

1. **1/3 = राज्य की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं द्वारा**
2. **1/3 = राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा**
3. **1/12 = स्नातकों को द्वारा**
4. **1/12 = अध्यापकों के द्वारा जो ऊंची शिक्षण संस्थाओं में कार्य कर रहे हो**
5. **1/6 = राज्यपाल द्वारा मनोनीत**

- **विधान परिषद की किसी भी बैठक के लिए** विधान परिषद के **कुल सदस्यों का 1/10 गणपूर्ति** होगा।
- **विधान परिषद अपने सदस्यों में से 2 को क्रमश: सभापति एवं उपसभापति चुनती है।**

विधानसभा

- विधानसभा का **कार्यकाल 5 वर्ष है** किंतु विशेष परिस्थितियों में **राज्यपाल को यह अधिकार** है कि वह इससे **पूर्व भी विधानसभा को भी गठित कर सकता है।**
- विधानसभा **के सत्रावसान के आदेश राज्यपाल के द्वारा** दिए जाते हैं।
- विधानसभा **में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष** है।
- प्रत्येक राज्य की **विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य** होते हैं। **अपवाद** – **गोवा (40), मिजोरम (40) सिक्किम 32**
- विधानसभा **में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण** किया जाता है **(अनुच्छेद 332)।**
- **विधान सभा की अध्यक्षता** करने के लिए एक **अध्यक्ष का चुनाव करने का अधिकार सदन को प्राप्त है।**
- साधारणतया विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता किंतु यदि **सदन में मत बराबरी में बँट जाए तो वह निर्णायक मत देता है।**
- जब कभी **अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन** हो उस समय **वह सदन की बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है।**
- किसी **विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं** इसका **निर्णय विधानसभा अध्यक्ष** ही करता है।
- मंत्रिपरिषद **सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी** होते हैं।

- **संघीय स्वरूप को प्रभावित करने वाला** कोई **भी संविधान संशोधन विधेयक यदि संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित** हो जाता है तो **आधे से अधिक राज्यों के विधान मंडलों द्वारा उसकी पुष्टि आवश्यक है।**
- **राष्ट्रपति के निर्वाचन** में जितना मताधिकार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को प्राप्त है उतना ही राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को प्राप्त है।
- **नोट : -** विभिन्न प्रकार के **विधेयकों के संबंध में** राज्य विधान मंडल में **विधान परिषद और विधानसभा की शक्तियां वैसे ही विभाजित** है जैसे **संघीय व्यवस्था में क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा के बीच शक्तियों का वितरण** है

सदस्यों की कुल संख्या				
राज्य	लोकसभा	राज्यसभा	विधान सभा	विधान परिषद
उत्तर प्रदेश	80	31	403	99
महाराष्ट्र	48	19	288	78
पश्चिम बंगाल	42	16	294	
बिहार	40	16	243	75
तमिल नाडु	39	18	234	
मध्य प्रदेश	29	11	230	
कर्नाटक	28	12	224	75
गुजरात	26	11	182	
राजस्थान	25	10	200	
आंध्र प्रदेश	25	11	175	50
उड़ीसा	21	10	147	
केरल	20	9	140	
तेलंगना	17	7	119	40
झारखंड	14	6	81	
असम	14	7	126	
पंजाब	13	7	117	
छत्तीसगढ़	11	5	90	
हरियाणा	10	5	90	
उत्तराखंड	5	3	70	
हिमाचल प्रदेश	4	3	68	

मेघालय	2	1	60	
अरुणाचल प्रदेश	2	1	60	
गोवा	2	1	40	
मणिपुर	2	1	60	
त्रिपुरा	2	1	60	
सिक्किम	1	1	32	
नागालैंड	1	1	40	
मिजोरम	1	1	60	
केंद्रशासित प्रदेश				
दिल्ली	3	7	70	
पुदुचेरी	1	1	30	
जम्मू	6			
लद्दाख				

11. न्यायपालिका

- सर्वोच्च न्यायालय
- उच्च न्यायालय

Student Tide
VICS

सर्वोच्च न्यायालय

- भारत की **न्याय व्यवस्था एकीकृत** है जिस के **सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय** हैं।
- **उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित** है।
- उच्चतम न्यायालय की **स्थापना, गठन, अधिकारिता, शक्तियों के विनियमन से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त** है।
- **उच्चतम न्यायालय** का **गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124** में दिया गया है।
- **उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 32 अन्य न्यायाधीश होते हैं।**

- **न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा** होती है।
- उच्चतम न्यायालय की **न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई** है।
- एक बार **नियुक्ति होने के बाद इनकी अवकाश ग्रहण** करने की **आयु सीमा 65 वर्ष है।**
- उच्चतम न्यायालय के **न्यायाधीश साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर** संसद के **प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित समावेदन के आधार** पर **राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं।**
- भारतीय **न्यायिक पद्धति में PIL के जनक पीएन भगवती को माना** जाता है।

Study Tide

VICS

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्यताएं

1. **वह भारत का नागरिक हो**
2. **वह किसी उच्च न्यायालय अथवा दो या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो।**
3. **या किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो।**
4. **या राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो।**

- उच्चतम न्यायालय के **न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद** भारत के **किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते** हैं।
- उच्चतम न्यायालय के **न्यायाधीश को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति** दिलाता है।

उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार

➢ प्रारंभिक क्षेत्राधिकार

- **अनुच्छेद 131 में इसका** उल्लेख है।
- इस मामले में **किसी वाद की शुरुआत सर्वोच्च न्यायालय** में ही हो सकती है।
- इसके **अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय तीन प्रकार के मामलों** की सुनवाई कर सकता है
    1. **ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार तथा दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य की सरकारें हो या भारत सरकार बनाम राज्य सरकार या सरकारें**
    2. **दो या अधिक राज्यों के बीच**
    3. **एक ओर भारत सरकार तथा एक या एकाधिक राज्य तथा दूसरी तरफ एक या एकाधिक राज्य हो।**

➢ रिट अधिकारिता

- संविधान के **अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय** को **रिट अधिकारिता** दी गई है।
- नागरिकों के **मूल अधिकारों की रक्षा के लिए** सर्वोच्च न्यायालय **पांच प्रकार की रिट जारी** करता है।
    1. **बंदी प्रत्यक्षीकरण HABEAS CORPUS**
    2. **परमादेश MANDAMUS**
    3. **प्रतिषेध PROHIBITION**
    4. **उत्प्रेषण CERTIORARI**
    5. **अधिकार पृच्छा QUO WARRANTO**

➢ अपीलीय अधिकारिता

- संविधान के **अनुच्छेद 132, 133, 134 तथा 136 में सर्वोच्च न्यायालय** की अपीलीय **अधिकारिता** उल्लेख है।
- **सर्वोच्च न्यायालय सिविल तथा अपराधिक सभी तरह के मामलों में अपील का अंतिम न्यायालय** है।
- सर्वोच्च न्यायालय की **अपीलीय क्षेत्राधिकार चार प्रकार** के हैं
    1. **संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीले**
    2. **सिविल मामलों से जुड़ी अपीले**
    3. **अपराधिक मामलों से जुड़ी अपीले**
    4. **विशेष अनुमति की अपीलें**
- इन सब में **अगर विधि का सारवान प्रश्न निहित हो तब यह अपील की जाती** है।

➢ सलाहकारी अधिकारिता

- **अनुच्छेद 143** द्वारा **सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी अधिकारिता** दी गई है।
- इसके अंतर्गत **राष्ट्रपति किसी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता** है परंतु यह **जरूरी नहीं कि यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य** हो।

➢ अभिलेख न्यायालय की शक्तियां

- भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 129 में यह प्रावधान** है कि **सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा** और **उसको अपने अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होगी।**
- सर्वोच्च न्यायालय के **सभी निर्णय, आदेश तथा निर्देश आदि अस्थाई स्मृति में सुरक्षित रखे जाते** हैं ताकि **सभी अधीनस्थ न्यायालय उन्हें पूर्व उदाहरण के रूप में प्रयोग कर सकें।**

➢ न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति

- इसका **प्रयोग संविधान में कहीं भी नहीं** किया गया है परंतु **अनुच्छेद 13 32 131 से 136 143 145 226 246 372 आदि के उपबंध से सर्वोच्च न्यायालय को या शक्ति प्राप्त** होती है।
- **न्यायिक पुनर्विलोकन से तात्पर्य** न्यायपालिका की शक्ति से है जिसके **अंतर्गत विधान पालिका द्वारा बनाए किसी कानून** या **कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश** को संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल होने पर न्यायपालिका निरस्त कर सकती है तथा अपने **निर्णयों की समीक्षा** भी कर सकती हैं।

- संविधान के **अनुच्छेद 137 के अनुसार** सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि **वह स्वयं द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर पुनर्विचार कर सकें।**

उच्च न्यायालय

- संविधान के अनुसार **प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय** होगा **(अनुच्छेद 214)।**
- संसद **विधि द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों** और **संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित** कर सकती है
- **वर्तमान में पंजाब एवं हरियाणा, असम, नागालैंड, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश; महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव,** और **पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार दीप समूह आदि** के लिए **एक ही उच्च न्यायालय** है।
- वर्तमान में **भारत में 24 उच्च न्यायालय** है।
- **केंद्र शासित प्रदेश से केवल दिल्ली में उच्च न्यायालय** हैं।
- उच्च न्यायालय के **न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती** है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं

1. **भारत का नागरिक हो**
2. **कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो अथवा उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो।**

- **उच्च न्यायालय के न्यायाधीश** को उस राज्य जिसमें उच्च न्यायालय स्थित है का **राज्यपाल उसके पद की शपथ दिलाता** है।
- उच्च न्यायालय के **न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण** करने की **अधिकतम उम्र सीमा 62 वर्ष** है।
- उच्च न्यायालय के **न्यायाधीश अपने पद से राष्ट्रपति को संबोधित कर कभी भी त्यागपत्र दे सकता है।**
- उच्च न्यायालय के **न्यायाधीश को उसी प्रकार अपदस्थ किया जा सकता** है जिस प्रकार **उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद मुक्त किया जाता है।**

- **राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार** किसी भी **उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता** है अथवा **अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता** है।
- **राष्ट्रपति उच्च न्यायालय** के किसी **अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य** करने का अनुरोध कर सकता है।
- **उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता** है।

- भारत के **मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण किसी दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है।**

Study Tide

VICS

12. केंद्र राज्य संबंध

- भारतीय संविधान में **केंद्र तथा राज्य के मध्य विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया** है लेकिन न्यायपालिका को विभाजन की परिधि से बाहर रखा गया है।
- भारतीय **संविधान की सातवीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य की शक्तियों के बंटवारे के संबंध** में **तीन सूची दी गई** है
  संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची।

1. संघ सूची

- संघ सूची में **उन विषयों को शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय महत्व के** हैं।
- संघ सूची के विषयों पर **कानून बनाने का एकमात्र अधिकार केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद** को है।
- इस **सूची में कुल 100 विषय हैं (मूलतः 97)**।

2. राज्य सूची

- इसमें **उन विषयों को शामिल** किया गया है जो **स्थानीय महत्व के हैं।**
- इन पर **कानून बनाने का एकमात्र अधिकार राज्य विधानमंडल** को है।
- कुछ **विशेष परिस्थितियों में संसद भी कानून बना सकती** है।
- इस सूची में **शामिल विषयों की संख्या** इस **समय 61** है **(मूलतः 66)।**
- जिसमें प्रमुख है **लोकसेवा, कृषि, वन, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, क्रय विक्रय एवं सिंचाई।**

3. समवर्ती सूची

- इसमें **शामिल विषयों पर संसद तथा राज्य विधान मंडल दोनों द्वारा कानून बनाया** जाता है।
- यदि **दोनों कानूनों में विरोध** हो तो **संसद द्वारा निर्मित कानून लागू होगा।**
- इस में **इस समय 52 विषय** हैं **(मूलतः 47)**।
- **जैसे – राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक योजना।**

अवशिष्ट विधायी शक्ति

- जिन विषयों को **संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं शामिल किया गया** है उन पर **कानून बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है।**

➢ संविधान के **अनुच्छेद 249 में यह प्रावधान** है कि यदि **राज्यसभा अपनी उपस्थिति था मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से** यह पारित कर दें कि **राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएं** तो **संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त** हो जाती है।

- **राष्ट्रीय आपात** एवं **राष्ट्रपति शासन** के समय भी **संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार होता है।**
- **राज्यों की सहमति** से भी **संसद राज्य सूची पर कानून बना** सकती है।

केंद्र राज्य संबंध पर गठित प्रमुख समिति

1. सरकारिया आयोग

- **गठन वर्ष – 1983**
- **रिपोर्ट – अक्टूबर 1987 कुल 247 सिफारिशें**
- **अध्यक्ष – न्यायाधीश आर एस सरकारिया**
- **अन्य सदस्य – वी. शिवरामन और एम आर सेन**

2. पुंछी आयोग

- **गठन – अप्रैल 2007**
- **रिपोर्ट – 2010**
- **अध्यक्ष – न्यायाधीश मदन मोहन पूंछी**
- **अन्य सदस्य – धीरेंद्र सिंह, विनोद कुमार, प्रोफेसर एन आर माधव मेनन, डॉ अमरेश बागची**

अंतर्राज्य परिषद

- संविधान के **अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित** करने के लिए **राष्ट्रपति एक अंतर राज्य परिषद की स्थापना कर सकता** है।
- **सरकारिया आयोग की सिफारिश के आधार पर**
- **पहली बार जून 1990** में **अंतर राज्य परिषद का गठन** किया गया।

- **इसमें निम्न सदस्य होते हैं**
  1. **प्रधानमंत्री – अध्यक्ष**
  2. **प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री**
  3. **सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री**
  4. **संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक।**
- **वर्ष में 3 बार इसकी बैठक** की जाती है जिसके **लिए कम से कम 10 सदस्य अवश्य उपस्थित** होने चाहिए।

अंतर्राज्य नदी जल विवाद

- संविधान के **अनुच्छेद 262 में नदी जल विवादों के समाधान से संबंधित उपबंध** किए गए हैं।
- **संसद द्वारा इस संबंध में 1956 में दो अधिनियम पारित** किए गए
  1. **नदी बोर्ड अधिनियम 1956**
  2. **अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956**
- **अंतर राज्य नदी जल विवाद अधिनियम 1956 केंद्र सरकार को यह शक्ति देता** है कि **वह अधिकरण का गठन कर** सके।
- **अधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद संबंधित राज्यों को निर्णय मानने के लिए बाध्य होना** पड़ता है।
- राज्य से शिकायत प्राप्त होने पर केंद्र सरकार 1 वर्ष के अंदर अधिकरण का गठन करेगी और 3 वर्ष के भीतर अधिकरण अपना निर्णय देगा।
- **अभी तक 8 बार अंतर राज्य नदी जल विवाद अधिकरण का गठन किया गया है।**

क्षेत्रीय परिषदें

- यह **संवैधानिक निकाय नहीं** है बल्कि **सांविधिक निकाय** हैं क्योंकि **इनका गठन संसद के अधिनियम के तहत** किया गया है।
- **राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956** के **माध्यम से क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया** है एवं **पूरे देश को पांच क्षेत्रों में बांटा गया था –**
- **5 क्षेत्रीय परिषदों का वर्तमान वर्गीकरण**

क्षेत्रीय परिषद	मुख्यालय	शामिल राज्य और संघ राज्य
उत्तरी	नई दिल्ली	जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली

केंद्रीय	**इलाहाबाद**	**उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़**
पूर्वी	**कोलकाता**	**बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल उड़ीसा, सिक्किम**
पश्चिमी	**मुंबई**	**गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव**
दक्षिणी	**चेन्नई**	**आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु केरल तथा पुडुचेरी**

पूर्वोत्तर परिषद

- संसद द्वारा **पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 पारित** किया गया।
- **पूर्वोत्तर परिषद में 8 राज्य सम्मिलित** हैं
- इन **परिषदों में 8 राज्यों के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्रीयों** के अलावा **भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत एक अध्यक्ष** तथा **तीन अन्य सदस्य शामिल होते** हैं।

कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध है

- संविधान के **भाग 21 में अनुच्छेद 371 के अंतर्गत कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रबंध** किए गए हैं।

अनुच्छेद	विशेष उपबंध
371	महाराष्ट्र, गुजरात के लिए विशेष उपबंध
371 A	नागालैंड के लिए विशेष उपबंध
371 B	असम के लिए विशेष उपबंध
371 C	मणिपुर के लिए विशेष उपबंध
371 D	आंध्र प्रदेश के लिए विशेष उपबंध
371 E	आंध्र प्रदेश के लिए विशेष उपबंध
371 F	सिक्किम के लिए विशेष उपबंध
371 G	मिजोरम के लिए विशेष उपबंध
371 H	अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष उपबंध
371 I	गोवा के लिए विशेष उपबंध
371 J	कर्नाटक के लिए विशेष उपबंध

Study Tide
VICS

अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र

- भारतीय संविधान के **भाग 10 में अनुच्छेद 244 के तहत अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध** किए गए हैं।

1. संविधान **की पांचवी अनुसूची में राज्यों** के **अनुसूचित क्षेत्र वह अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे** में चर्चा की गई है।

- **असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम** के अलावा किसी **अन्य राज्य के राज्य क्षेत्र को राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित** किया जा सकता है।
- ऐसे **क्षेत्रों में राष्ट्रपति के निर्देश से जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन** किया जाता है।
- **राज्यपाल को परिषद के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति** करने का अधिकार है।
- इन **क्षेत्रों वाले राज्यों के राज्यपाल के लिए** आवश्यक है कि वह **प्रतिवर्ष एवं जब राष्ट्रपति चाहे उन्हें अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट सौंपे।**
- राज्यपाल **कोई विनियमन तब तक नहीं बना पाएगा** जब तक उसने जनजाति सलाहकार परिषद से परामर्श ना कर लिया हो।

2. **संविधान की छठी अनुसूची** में **असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में पृथक व्यवस्था** की गई है और उनके प्रशासन के लिए उपबंध किए गए हैं।

- अगर किसी **जिला में विभिन्न अनुसूचित जनजातियां निवास** करती हो तो **राज्यपाल ऐसे क्षेत्रों को स्वायत्त क्षेत्रों के रूप में विभाजित कर सकेगा।**
- **इन क्षेत्रों में जिला परिषद तथा प्रादेशिक क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाता है।**
- **अनुच्छेद 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के विषय पर संघ या केंद्र सरकार का नियंत्रण।**

Study Tide
VICS

13. भाषा संबंधी उपबंध

- **संविधान के अधीन किसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में नहीं अपनाया गया** है इसके अधीन **हिंदी को केवल राजभाषा के रूप में रखा** गया है।
- भारतीय संविधान के **भाग 17 उल्लिखित अनुच्छेद 343 – 351** में **राजभाषा संबंधी प्रावधान** है।

अनुच्छेद	विषय वस्तु
संघ की भाषा	
343	संघ की राजभाषा
344	राजभाषा के संबंध में आयोग और समिति
प्रादेशिक भाषाएं	
345	राज्य की राजभाषा या राज भाषाएं
346	एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा राज्य एवं संघ के बीच पत्राचार के लिए राज भाषा
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा से संबंधित	
348	सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा
350	शिकायत निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयुक्त भाषा
350 (क)	प्राथमिक स्तर पर मातृ भाषा में शिक्षण के लिए सुविधाएं
350 (ख)	भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी
351	हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश

भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रम	
1.	राष्ट्रपति
2.	उपराष्ट्रपति
3.	प्रधानमंत्री
4.	राज्यों के राज्यपाल अपने राज्यों में
5.	भूतपूर्व राष्ट्रपति
5 (क)	उप प्रधानमंत्री
6.	भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष

StudyTime VICS

7.	केंद्रीय कैबिनेट मंत्री राज्य के मुख्यमंत्री अपने-अपने राज्यों में योजना आयोग का उपाध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री तथा संसद के विपक्ष का नेता
7 (क)	भारत रत्न सम्मान के धारक
8.	राजदूत
9.	उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश
9 (क)	मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक
10.	राज्यसभा का उपसभापति लोकसभा का उपाध्यक्ष योजना आयोग के सदस्य तथा केंद्र में राज्य मंत्री।

- **मूल संविधान में 14 भाषाएं** थी
- **21 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967** द्वारा **सिंधी** को जोड़ा गया।
- **71वां संविधान संशोधन 1992** द्वारा **कोंकणी, मणिपुर और नेपाली** को जोड़ा गया।
- **92 संविधान संशोधन 2003** द्वारा **मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली भाषाओं** को जोड़ा गया।
  - **संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है जो निम्न है**

1. असमिया	2. बंगला	3. गुजराती	4. हिंदी
5. कन्नड़	6. कश्मीरी	7. मलयालम	8. मराठी
9. ओड़िया	10. पंजाबी	11. संस्कृत	12. तमिल
13. तेलुगू	14. उर्दू	15. सिंधी	16. कोंकणी
17. मणिपुर	18. नेपाली	19. मैथिली	20. संथाली
21. डोगरी	22. बोडो	23.	24.

- **कुछ भारतीय भाषाओं की प्राचीन साहित्यिक परंपरा का संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जाता रहा है।**

शास्त्रीय भाषा	वर्ष	शास्त्रीय भाषा	वर्ष
तमिल	2004	कन्नड़	2008
संस्कृत	2005	मलयालम	2013
तेलुगू	2008	उड़िया	2014

Study Ride
VICS

14. आपात उपबंध

- भारतीय **संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल से संबंधित उपबंध** उल्लिखित है।
- भारतीय संविधान **सामान्य परिस्थितियों में संघात्मक स्वरूप** के अनुसार कार्य करता है वही **आपातकालीन परिस्थितियों में यह एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेता** है।
- **आपात उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण से संबंधित प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935** से लिए गए हैं।
- जबकि **आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन संबंधी प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान** से लिए गए।

आपात उपबंधों का वर्गीकरण

- भारतीय संविधान में **आपात उपबंधों तीन भागों में बांटा** गया

1. **राष्ट्रीय आपात – अनुच्छेद 352**
2. **राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन - अनुच्छेद 356**
3. **वित्तीय आपात – अनुच्छेद 360**

Study Tide
VICS

राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352

- इसकी **घोषणा निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर राष्ट्रपति** के द्वारा की जाती है
    1. **युद्ध**
    2. **बाहरी आक्रमण**
    3. **सशस्त्र विद्रोह**
- राष्ट्रीय आपात की **घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर** करता है।
- राष्ट्रीय आपात की **उद्घोषणा को न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है।**

उद्घोषणा की प्रक्रिया एवं अवधि

- राष्ट्रपति द्वारा की गई **आपात की उद्घोषणा एक माह तक प्रवर्तन में रहती** है और यदि इस दौरान **इसे संसद के दो तिहाई बहुमत से अनुमोदित करवा लिया जाता** है वह **6 माह तक प्रवर्तन में रहती** है **संसद इसे पुन: एक बार में 6 महीने तक बढ़ा सकती है।**

प्रभाव

- **44 वें संविधान संशोधन** द्वारा **अनुच्छेद 352 के अधीन** उद्घोषणा **संपूर्ण भारत में या उसके किसी भी भाग में** की जा सकती है।
- **राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार निलंबित नहीं** की जाती है अपितु वह **संघ की कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती** है।
- जब **अनुच्छेद 352 प्रभावी होता** है तो **अनुच्छेद 358 के उपबंध स्वत: प्रभावी** हो जाते हैं जिसके अनुसार **अनुच्छेद 19 में दिए गए मूल अधिकारों का निलंबन स्वयं हो जाता है।**
- **अनुच्छेद 359 के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात के समय अनुच्छेद 20 एवं 21 में प्रदत्त मूल अधिकारों** को छोड़कर **अन्य मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है।**

उद्घोषणा की समाप्ति

1. **राष्ट्रपति कभी भी ऐसी उद्घोषणा को वापस ले सकता है।**
2. **संसद द्वारा अनुमोदन न किए जाने पर**
3. **लोक सभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर घोषणा को वापस ले सकती है।**

अभी तक की गई राष्ट्रीय आपात की घोषणा

- अब **तक तीन बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी** है

1. **अक्टूबर 1962 – जनवरी 1968 तक – भारत चीन युद्ध**
2. **दिसंबर 1971 – मार्च 1977 तक – पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध**
3. **जून 1975 – मार्च 1977 – आंतरिक अशांति के आधार पर**

- **44 वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में संशोधन कर आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह का प्रावधान** किया गया।

राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356

उद्घोषणा

- **अनुच्छेद 356** – यदि **कोई राज्य सरकार जानबूझकर संविधान के निर्देशों का उल्लंघन** करें अथवा **राज्य में ऐसी स्थिति खड़ी हो जाए जहां सरकार संविधान के अनुरूप शासन न चला पाए** तो ऐसे तो **दो आधारों पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है**

1. **अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या इसके बिना है समाधान हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के उप बंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है।**

2. अनुच्छेद 365 सरकार के निर्देशों का राज्य सरकार द्वारा पालन करने में असमर्थता

उद्घोषणा की प्रक्रिया एवं अवधि

- राष्ट्रपति शासन की **उद्घोषणा 2 माह तक लागू रहती** है **अगर 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदन अलग-अलग साधारण बहुमत** से इसका अनुमोदन कर देते हैं तो **यह घोषणा 6 माह के लिए बढ़ जाती है।**
- इसी प्रक्रिया से आगे भी बढ़ाया जा सकता है लेकिन **1 वर्ष से अधिक समय के लिए बढ़ाने हेतु 2 शर्तें हैं**

1. **संपूर्ण भारत में या उसके किसी हिस्से में राष्ट्रीय आपात लागू हो**
2. **भारत का चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दें कि उस प्रांत में चुनाव नहीं करवाए जा सकते हैं।**

- **उपरोक्त शर्तें पूरी होने के बाद भी किसी राज्य अपात या राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष से ही हो सकती है।**

प्रभाव

- देश का **संघात्मक तंत्र एकात्मक बन** जाता है।
- राज्य के **प्रशासनिक तंत्र पर राष्ट्रपति तथा उसके प्रतिनिधि का नियंत्रण।**
- राज्य की **विधानसभा निलंबित हो सकती** है और **संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है** अथवा **राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी** कर सकता है।
- **वित्तीय शक्तियों का प्रयोग** और **आचरण संबंधी निर्देश संसद दे सकती है।**
- **अपवाद – उच्च न्यायालय की शक्तियां नहीं ली जा सकती।**

उद्घोषणा की समाप्ति

1. **राष्ट्रपति स्वयं अपनी घोषणा द्वारा आदेश कभी भी वापस ले सकता है।**
2. **ऐसा करने के लिए संसद की अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।**

वित्तीय आपात अनुच्छेद 360

- **अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा** तब की जाती है जब **उसे विश्वास हो जाए** कि ऐसी स्थिति विद्यमान है **जिसके कारण भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है।**
- वित्तीय आपात की **घोषणा को 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखना** तथा **उसकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है।**

- वित्तीय आपात की **घोषणा उस समय की जाती है जब लोकसभा विघटित** हो **तो 2 महीने के भीतर राज्यसभा की स्वीकृति मिलने के उपरांत वह आगे भी लागू रहेगी।**
- किंतु **नवनिर्वाचित लोकसभा द्वारा उसकी प्रथम बैठक के आरंभ से 30 दिन के भीतर ऐसी घोषणा की स्वीकृति आवश्यक** है।
- **इसकी अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई** है।
- **राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा को किसी समय वापस ले सकता है।**
- अभी तक **देश में एक भी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा नहीं की गई है।**

अनुच्छेद संबंधित प्रावधान	
352	राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा
353	आपात की उद्घोषणा का प्रभाव
354	आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्व के वितरण संबंधी उपबंधों को लागू करना
355	बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करने का संघ का कर्तव्य
356	राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर उपबंध
357	अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के तहत विधायी शक्तियों का प्रयोग
358	आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उप बंधों का निलंबन
359	आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों की प्रवर्तन का निलंबन
360	वित्तीय आपात के संबंध में उप बंध।

Study Tide
VICS

15. स्थानीय स्वशासन
LOCAL SELF GOVERNMENT

- स्थानीय स्वशासन में **विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था** (DECENTRALIZED GOVERNMENT SYSTEM) तथा **सहभागिता मूलक लोकतंत्र** (PARTICIPATORY DEMOCRACY) का **आदर्श अंतर्निहित** है।
- **लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा** जाता है।
- **लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव** दिया जिसे **स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्नाकार्टा कहा** जाता है।
- **1919 के भारत शासन अधिनियम** के तहत **प्रांतों में दोहरी शासन की व्यवस्था** की गई तथा **स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में** रखा गया।
- **2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर** जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा **देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया**।
- **11 अक्टूबर 1959** को **आंध्र प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला दूसरा राज्य** बना।
- भारत में **त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था** का प्रावधान **बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर** की गई।

भारत में पंचायती राज से संबंधित प्रमुख समितियां

- समिति गठन वर्ष रिपोर्ट सिफारिशें

1. बलवंत राय मेहता समिति 1957 (NOV)

- **रिपोर्ट – 1957 पंचायत की त्रिस्तरीय ढांचा बनाए जाने की सिफारिश**

  A. **ग्राम स्तर पर – ग्राम पंचायत**

  B. **खंड या ब्लॉक स्तर पर – पंचायत समिति**

  C. **जिला स्तर पर – जिला परिषद**

2. अशोक मेहता समिति 1977

- **रिपोर्ट – अगस्त 1978**
- **पंचायत व्यवस्था हेतु द्विस्तरीय मॉडल**
- **पहली स्तर पर मंडल पंचायत दूसरे स्तर पर जिला पंचायत**

3. जीवीके राव समिति 1985

A. उद्देश्य ग्रामीण विकास एवं निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम से संबंधित प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा करना

B. जिला स्तर पर जिला विकास आयुक्त नामक पद सृजन

4. लक्ष्मी मल सिंघवी समिति 1986

- **पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए**
- **त्रिस्तरीय ग्राम खंड और जिला पंचायतों का गठन**
- **दलगत व्यवस्था को पंचायती चुनाव में नहीं अपनाना चाहिए**

73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992

- अधिनियम 20 अप्रैल 1993
- **24 अप्रैल 1993 से 73 वा संविधान संशोधन अधिनियम लागू** हुआ।
- **24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस** के रूप में मनाया जाता है।
- 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से **पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया** गया।
- **73वें संविधान संशोधन अधिनियम** द्वारा **संविधान में भाग 9 जोड़ा गया।**
- **भाग 9** में **पंचायत नामक शीर्षक के तहत 243 – 243ण (243-243 O)** तक **पंचायती राज से संबंधित उपबंध** है।
- 73 वें संविधान संशोधन द्वारा **संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई** जिसके तहत **पंचायतों के लिए 29 विषयों की सूची** की व्यवस्था की गई है।

73 वें संविधान संशोधन के प्रमुख उपबंध

- **अनुच्छेद 243 (क)** में **ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों का वर्णन** किया गया है।

पंचायतों की संरचना अनुच्छेद 243 (ग)			
स्तर	**संरचना**	**अधिकारी**	**निर्वाचन**
ग्राम स्तर	ग्राम पंचायत	प्रधान/ मुखिया/ सरपंच	विधान मंडल द्वारा निर्धारित प्रक्रिया
खंड /ब्लॉक स्तर	क्षेत्र पंचायत	प्रमुख	अप्रत्यक्ष
जिला स्तर	जिला पंचायत	अध्यक्ष चेयरमैन	अप्रत्यक्ष

अर्हताएँ निर्वाचन एवं पद मुक्ति

A. व्यस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्येक 5वें वर्ष निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं।
B. चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष
C. अगर राज्य विधानमंडल से कोई विधि पारित हुई हो और उसकी उपबंध के अंतर्गत किसी पंचायत की सदस्यता के लिए व्यक्ति अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

आरक्षण

- अनुच्छेद 243 घ में पंचायतों में आरक्षण से संबंधित प्रावधान
- महिलाओं के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में कम से कम एक तिहाई स्थान आरक्षित होना चाहिए यदि विधानमंडल चाहे तो इसे बढ़ा सकती है लेकिन कम नहीं कर सकती।
- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित किए जाएंगे।
- अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों में से कम से कम एक तिहाई अस्थान उसी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।
- राज्य की राज्यपाल को प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग के गठन की शक्ति दी गई है।

राज्य निर्वाचन आयोग

- राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 (K) मे की गई है।
- राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा उसकी सेवा शर्तें और पदावधि का निर्धारण राज्य विधान मंडल द्वारा किया जाता है।
- राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकेगा जैसे कि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है।
- राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के सभी चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने तथा पंचायत के सभी चुनाव के संचालन के लिए उत्तरदायी होता है।

2. संसद में 1996 में पंचायत (उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) विधेयक प्रस्तुत किया गया।

- दिसंबर 1996 में दोनों सदनों से पारित होने के उपरांत 24 दिसंबर को राष्ट्रपति की सहमति के पश्चात पेसा अधिनियम अस्तित्व में आया।
- वर्तमान में पेसा अधिनियम के अंतर्गत 10 राज्य आते हैं
  हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना।

StudyTrade
VICS

- अनुसूचित क्षेत्रों के अध्ययन के लिए जून 1994 में सरकार ने **भूरिया समिति का गठन** किया था।

नगर पालिका

- भारतीय संविधान में **74 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992** द्वारा **नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा** दिया गया।
- इस संशोधन के माध्यम से **संविधान में भाग 9 (क) जोड़ा** गया।
- **74 वा संविधान संशोधन 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ।**
- **अनुच्छेद 243 त – 243 य (छ) (243 P - 243 ZG) में नगरपालिकाओं से संबंधित उपबंध है ।**
- इस संशोधन द्वारा **संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई** जिसके अंतर्गत **नगर पालिकाओं को 18 विषयों की सूची विनिर्दिष्ट** है।
- **प्रत्येक 5 वर्ष पर निर्वाचन कराए जाएंगे।**
- निर्वाचन के लिए **कम से कम 21 वर्ष की आयु आवश्यक।**
- **नगर पालिका से संबंधित चुनाव** कराने की **जिम्मेवारी राज्य निर्वाचन आयोग की होती** है।
- **राज्य विधान मंडल को चुनाव के संबंध में विधि बनाने का अधिकार है।**

नगर पालिका की संरचना		
नगर पंचायत	**नगर पालिका परिषद**	**नगर निगम**
संक्रमणशील क्षेत्रों में गठित की जाती है जो गांव से शहरों में परिवर्तित हो रहे हैं।	**छोटे शहरों अथवा लघु नगरीय क्षेत्रों में गठित की जाती हैं।**	**बड़े नगरीय क्षेत्रों महानगरों में गठित की जाती है।**

➢ **प्रत्येक पांचवी वर्ष वित्त आयोग का गठन।**

नगर पालिकाओं में आरक्षण

A. **जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित होते हैं।**
B. **महिलाओं के लिए 1/3 स्थान के आरक्षण का प्रावधान।**

पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद (243 – 243 O)	
अनुच्छेद	**विषय वस्तु**
243	**परिभाषाएं**
243 A	**ग्राम सभा**
243 B	**पंचायतों का गठन**

243 C	पंचायतों की संरचना
243 D	स्थानों का आरक्षण
243 E	पंचायत की अवधि
243 F	सदस्यता के लिए अयोग्यताएं
243 I	राज्य वित्त आयोग का गठन
243 J	पंचायतों के लेखकों की संपरीक्षा
243 K	पंचायतों के लिए निर्वाचन
243 O	निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन

नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद (243 P – 243 ZG)	
अनुच्छेद	विषय वस्तु
243 P	परिभाषाएं
243 Q	नगर पालिकाओं का गठन
243 R	नगर पालिकाओं की संरचना
243 T	स्थानों का आरक्षण
243 Y	वित्त आयोग
243 ZA	नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन
243 ZD	जिला योजना के लिए समिति
243 ZE	महानगर योजना के लिए समिति
243 ZG	निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों की हस्तक्षेप का वर्जन।

Study Tide
VICS

16. भारत में निर्वाचन एवं दलीय व्यवस्था

- भारतीय **संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 – 329 तक निर्वाचन से संबंधित उपबंधों का उल्लेख** है।
- संविधान के **अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग संस्था का उल्लेख** किया गया है।
- भारत में **निर्वाचन प्रणाली व्यस्त मताधिकार पर आधारित** है जिसमें **भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से कम ना हो अपने मताधिकार का प्रयोग** कर सकता है।

भारत में निर्वाचन प्रणाली

➢ **निर्वाचन प्रणाली के प्रकार**

- भारत में निर्वाचन के संबंध में **मुख्यतः दो प्रकार की पद्धतियां** अपनाई जाती है।

A. **लोकसभा एवं राज्य में विधानसभा चुनाव हेतु फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम।**

B. **राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य सभा एवं राज्य विधान परिषद के निर्वाचन हेतु एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई है।**

चुनाव सुधार से संबंधित समितियां		
समिति	वर्ष	संबंधित विषय
संयुक्त संसदीय	1972	चुनाव कानून में संशोधन
तारकुंडे/जेपी	1974	चुनाव सुधार (गैर सरकारी)
दिनेश गोस्वामी	1990	चुनाव सुधार
वोहरा समिति	1993	अपराध और राजनीति के बीच सांठगांठ की जांच के लिए
इंद्रजीत गुप्ता	1998	सरकार द्वारा चुनाव खर्च वहन करने पर गठित समिति
तनखा समिति	2010	चुनाव कानूनों एवं चुनाव सुधारों से जुड़े तमाम मामलों की जांच
जेएस वर्मा	2013	अपराधिक कानून में संशोधन पर गठित समिति।

➢ **61 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के माध्यम से लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव में वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया।**

भारत में दलों का वर्गीकरण				
राष्ट्रीय दल	क्षेत्रीय दल	स्थानीय एवं साम्यवादी दल	तदर्थ दल	लघु दल
➢ कांग्रेस ➢ BJP ➢ CPI (M)	• शिरोमणि अकाली दल • डीएमके एवं एआईडीएमके	❖ झारखंड मुक्ति मोर्चा ❖ मिजो राष्ट्रीय फ्रंट ❖ गोरखा लीग	केरल कांग्रेस बंगाल कांग्रेस लोक	हिंदू महासभा जनता पार्टी

➢ CPI ➢ BSP ➢ NSP ➢ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ➢ नेशनल पीपुल्स पार्टी(NNP)	• शिवसेना • तेलुगू देशम पार्टी • रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया • असम गण परिषद • हरियाणा कांग्रेस	❖ मणिपुर पीपुल्स पार्टी ❖ अरुणाचल कांग्रेस	शक्ति पार्टी राष्ट्रीय लोक दल	प्रजा समाजवादी पार्टी।

राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता के लिए दशाएं

- **वर्तमान में किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में तभी मान्यता दी जा सकती है जब वह**
  1. **लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनाव में 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है एवं इसके साथ ही किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीट प्राप्त करता है अथवा**
  2. **यदि वह लोकसभा में 2% स्थान जीता है एवं यह सदस्य तीन विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं अथवा**
  3. **यदि कोई दल कम से कम चार राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो**

महत्वपूर्ण तथ्य

1. **52 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985** में यह व्यवस्था की गई कि सांसदों तथा विधायकों द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में **दल परिवर्तन के आधार पर कुछ शर्तों को देखते हुए उन्हें अयोग्य घोषित किया** जा सकता है।
2. **गोवा विधानसभा चुनाव** में **पहली बार पूरे राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग** किया गया।
3. **नोटा (NOTA) का प्रावधान** उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार चुनाव आयोग द्वारा किया गया **जिसका अर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं।**
4. **वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) का प्रथम प्रयोग** 2013 में **नागालैंड विधान सभा चुनाव में किया गया था।**

Study ride
VICS

17. आयोग/ परिषद /अधिकरण COMMISSION/ COUNCIL/ TRIBUNAL

संवैधानिक निकाय (CONSTITUTIONAL BODY)

- भारतीय **संविधान में विभिन्न अनुच्छेदों के तहत जिस निकाय का उल्लेख है उन्हें संवैधानिक निकाय माना** जाता है।
- इन **निकायों के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा** की जाती है।
- **उन्हें पर्याप्त पद सुरक्षा प्रदान की गई है और उन्हें संविधान में निर्दिष्ट विधियों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से अपने पद से नहीं हटाया जा सकता है।**
- इनकी **रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में रखा जाता** है।

1. वित्त आयोग (FINANCE COMMISSION)

- **वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय** है।
- वित्त आयोग के संबंध में **अनुच्छेद 280 और 281 में उल्लेख** है।
- वित्त आयोग **एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य** होते हैं जो **राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त** किए जाते हैं।
- **आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है** जिसे वह **संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता** है।
- **वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें सलाहकारी प्रवृत्ति** की होती है इसे मानना या ना मानना सरकार पर निर्भर करता है।
- वित्त **आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता** है।
- **प्रथम वित्त आयोग की स्थापना 1951** में हुई जिसके **अध्यक्ष के. सी. नियोगी थे।**
- **के संथानम, ए. के. चंदा, डॉ. पी. वी. राजमन्नार** क्रमशः **द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वित्त आयोग के अध्यक्ष** थे।
- **सी रंगराजन, विजय केलकर, वाई. वी. रेड्डी और एन.के. सिंह क्रमशः 12वीं 13वीं 14वीं और 15 में वित्त आयोग के अध्यक्ष** थे।

अनुच्छेद	संबंधित निकाय
280	वित्त आयोग
315 – 323	संघ लोक सेवा आयोग / राज्य लोक सेवा आयोग
148	भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(CAG)
323 A	केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण

338	**राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग**
338 A	**राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**
324	**निर्वाचन आयोग**

2. परिसीमन आयोग (DELIMITATION COMMISSION)

- इसका **उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 82** में है।
- **संसद प्रत्येक जनगणना के पश्चात** कानून द्वारा एक **परिसीमन आयोग का गठन** करेगी।
- अब तक **चार परिसीमन आयोग का गठन** किया जा चुका है
    1. **प्रथम परिसीमन आयोग 1952**
    2. **द्वितीय परिसीमन आयोग 1962**
    3. **तृतीय परिसीमन आयोग 1972**
    4. **चतुर्थ परिसीमन आयोग 2002।**

3. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC / SPSC)

- भारतीय **संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315** के **तहत संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान** किया गया है।
- आयोग के **अध्यक्ष और सदस्य पद ग्रहण** की तारीख से **6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु** (जो भी पहले हो) तक **पद धारण करते हैं।**
- इनकी **नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा** की जाती है।
- **अध्यक्ष और सदस्य** किसी भी समय **राष्ट्रपति को संबोधित करते त्यागपत्र दे सकते** हैं।
- अध्यक्ष और सदस्यों को **दुर्व्यवहार और कदाचार** के आधार पर भी पद से हटाया जा सकता है

4. राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC)

- राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान **संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 में किया** गया है।
- इसके **अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा** की जाती है।
- **अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु** (जो भी पहले हो) होती है।

StudyTide VICS

5. भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA)

- भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 148 – 151 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक** से संबंधित है।
- इसकी **नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा** की जाती है।
- इसका **कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष** (जो भी पहले हो)
- इसके द्वारा **भारत की संचित निधि, लोक लेखा निधि, के साथ-साथ आकस्मिकता निधि के सभी प्रकार के व्यय का लेखा परीक्षण किया जाता है।**
- **कैग की रिपोर्ट – राष्ट्रपति/ राज्यपाल – संसद के प्रत्येक सदन या विधानमंडल – लोक लेखा समिति – निष्कर्ष**

लोक सेवा आयोग से संबंधित अनुच्छेद	
अनुच्छेद	**विषय वस्तु**
315	संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग
316	सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल
317	PSC के सदस्य की बर्खास्तगी और निलंबन
320	लोक सेवा आयोग के कार्य
322	लोक सेवा आयोग का खर्च
323	लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन

Study Time VICS

6. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

- भारतीय **संविधान का अनुच्छेद 338 अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति** का उपबंध करता है।
- इस **आयोग में एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य** होते है।
- इनकी **सेवा शर्तें एवं कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित** किए जाते हैं।
- **नियमानुसार इनका कार्यकाल 3 वर्ष** का होता है।
- यह अपना **रिपोर्ट राष्ट्रपति या संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौपता है।**

18. आधारभूत महत्व के संविधान संशोधन

पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951

- **नौवीं अनुसूची जोड़ी गई।**
- संपत्ति के अधिकार को सीमित करने के लिए अनुच्छेद 31 में दो नए खंड जोड़े गए 31 क और 31 ख।
- **नौवीं अनुसूची के विषय को न्यायिक समीक्षा से परे रखा गया।**

7 वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956

- **राज्य पुनर्गठन आयोग (STATE REORGANISATION COMMISSION) की रिपोर्ट** को लागू करने के लिए यह संशोधन अधिनियम पारित किया गया।
- **क ख ग तथा घ श्रेणी के राज्यों का वर्गीकरण समाप्त कर पूरे भारत को 14 राज्यों और 6 संघ शासित क्षेत्रों में बांटा गया।**

16 वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963

- **अनुच्छेद 19 में दिए गए तीन अधिकारों पर युक्तियुक्त निर्बंधन (REASONABLE RESTRICTION) लगाने की शक्ति राज्य** को दे दी गई।

21 वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967

- इसके द्वारा **संविधान की आठवीं अनुसूची में** शामिल भाषाओं में **सिंधी को सम्मिलित** कर लिया गया

24 वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971

- **अनुच्छेद 13 (2) में संशोधन** कर प्रावधान किया गया कि **अनुच्छेद 368 के तहत पारित की गई कोई भी विधि अनुच्छेद 13 (2) में प्रयुक्त विधि शब्द में शामिल नहीं मानी जाएगी।**
- **राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य** होगा।

26 वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971

- इसके अंतर्गत **भूतपूर्व देसी राज्यों के शासकों** को विशेष उपाधियों एवं उनके **प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया**

StudyTide
VICS

36 वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975

- इसके अंतर्गत **सिक्किम को भारत का 22 वां राज्य** बनाया गया।

42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976

a) **संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए**
b) **सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्च का सुनिश्चित की गई।**
c) **इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 (क) भाग 4 (क) के अंतर्गत जोड़ा गया।**
d) **संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त किया गया।**
e) **लोकसभा एवं विधानसभा ओं की अवधि को 5 से 6 वर्ष कर दिया गया।**
f) **इसके द्वारा वन, संपदा, शिक्षा, जनसंख्या, नियंत्रण, आदि विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया।**
g) **इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा।**
h) **इस ने संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने के अधिकार दिए एवं सर्वोच्चता स्थापित**

44 वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978

- इसके अंतर्गत **राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह** का आधार
- **संपत्ति के अधिकार** को **मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार की श्रेणी में** रखा गया।
- **लोकसभा तथा राज्य विधानसभा की अवधि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई।**
- **उच्चतम न्यायालय को** राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी **विवाद को हल करने की अधिकारिता** प्रदान की गई।

52 वा संविधान संशोधन 1985

- इस संशोधन के द्वारा **राजनीतिक दल बदल पर अंकुश** लगाने का लक्ष्य रखा गया।
- **दल बदल विरोधी इन प्रावधानों को संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया।**

StudyTide VICS

61 वा संविधान संशोधन अधिनियम 1989

- इसके द्वारा **मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष लाने का प्रस्ताव** था।

65 वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990

- इसके द्वारा **अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था** की गई।

69 वां संविधान संशोधन 1991

- **दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया** तथा
- **दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्री परिषद का उपबंध किया गया।**

70 वां संविधान संशोधन 1992

- **दिल्ली और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं** के सदस्यों को **राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित** किया गया।

71वां संविधान संशोधन 1992

- **आठवीं अनुसूची** में **कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया** गया।

73 वा संविधान संशोधन 1992 – 93

- इसके अंतर्गत **संविधान में 11 वीं अनुसूची जोड़ी** गई।
- इस **अनुसूची में 29 विषयों का प्रावधान** है।
- इसमें **पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित** किया गया
- इस **संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9** जोड़ा गया।

74 वां संविधान संशोधन 1993

- इसके **अंतर्गत संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा** गया।
- इस **अनुसूची में 18 विषयों का प्रावधान** है।
- जिसमें **नगर पालिका, नगर निगम, और नगर परिषद से संबंधित प्रावधान** किए गए।
- इस **संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9(क) जोड़ा** गया।

86 वा संविधान संशोधन अधिनियम 2002

- इस अधिनियम के द्वारा **देश में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार** के रूप में मान्यता दिया गया।
- इस प्रावधान को **अनुच्छेद 21 (क) के अंतर्गत जोड़ा** गया।
- इस अधिनियम द्वारा **संविधान के अनुच्छेद 45 तथा अनुच्छेद 51(क) संशोधन किए जाने का प्रावधान** है।

89 वा संविधान संशोधन अधिनियम 2003

✓ अनुसूचित जनजाति के लिए **पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था।**

91 वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003

➢ **दलबदल व्यवस्था में संशोधन**

➢ **केवल संपूर्ण दल के विलय को मान्यता**

➢ **केंद्र तथा राज्य में मंत्री परिषद के सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होगा।**

92 वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003

❖ **संविधान की आठवीं अनुसूची में बोडो, संथाली, मैथिली और संथाली भाषाओं का समावेश।**

97 वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011

✓ संविधान में **एक नया भाग 9(ख) जोड़ा गया जिसका नाम सहकारी समितियां** है।

✓ इसके अंतर्गत संविधान के **अनुच्छेद 243 यज (ZH) से 243 यन (ZT) जोड़ा गया।**

✓ **नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत 43 B जोड़ा** गया।

✓ **अनुच्छेद 19.1 (ग) में संघ बनाने की स्वतंत्रता के साथ सहकारी समिति बनाने का अधिकार शब्द** शामिल किया गया।

99 वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014

- **सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति** के लिए **राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) का प्रावधान** करता है।

Study Tide

VICS

100 वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015

- यह **संशोधन भारत बांग्लादेश के मध्य भूमि सीमा समझौते** से संबंधित है।

101 वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016

- ✓ **वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम जीएसटी**
- ✓ **छठी एवं सातवीं अनुसूची में भी संशोधन किया गया।**

Study Tide
VICS

19. भारतीय संविधान एक नजर में

भाग	विषय	संबंधित अनुच्छेद
1	संघ और उसका राज्य क्षेत्र	1 – 4
2	नागरिकता	5 – 11
3	मूल अधिकार	12 – 35
4	राज्य के नीति निर्देशक तत्व	36 – 51
4 (क)	मूल कर्तव्य	51 A
5	संघ अध्याय 1 कार्यपालिका अध्याय 2 संसद अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका अध्याय 5 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक	52 – 151 52 – 78 79 – 122 123 124 – 147 148 – 151
6	राज्य अध्याय 1 साधारण अध्याय 2 कार्यपालिका अध्याय 3 राज्य का विधान मंडल अध्याय 4 राज्यपाल की विधायी शक्ति अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायालय अध्याय 6 अधीनस्थ न्यायालय	152 – 237 152 153 – 167 168 – 212 213 214 – 232 233 – 237
7	पहली अनुसूची के भाग ख राज्य 7 वें संविधान संशोधन द्वारा निरसित	238 (निरसित)
8	संघ राज्य क्षेत्र	239 – 242
9	पंचायतें	243 – 243 O
9 (क)	नगर पालिकाएँ	243 P – 243 ZG
9 (ख)	सरकारी समितियां	243 ZH – 243 ZT
10	अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र	244 – 244 A
11	संघ और राज्यों के बीच संबंध अध्याय 1 विधायी संबंध अध्याय 2 प्रशासनिक संबंध	245 – 263 245 – 255 256 – 263
12	वित्त संपत्ति संविधान और वाद	264 – 300

Study Tide
VICS

13	भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम	301 – 307
14	संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं अध्याय 1 सेवाएं अध्याय 2 लोक सेवा आयोग	308 – 323 308 – 314 315 – 323
14 (क)	अधिकरण	323 A – 323 B
15	निर्वाचन	324 – 329 A
16	कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान	330 – 342
17	राजभाषा अध्याय 1 संघ की भाषा अध्याय 2 प्रादेशिक भाषाएं अध्याय 3 सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय आदि की भाषा अध्याय 4 विशेष निर्देश	343 – 351 343 – 344 345 – 347 348 – 349 350 – 351
18	आपात उपबंध	352 – 360
19	प्रकीर्ण	361 – 367
20	संविधान का संशोधन	368
21	अस्थाई संक्रमणशील और विशेष उपबंध	369 – 392
22	संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन	393 – 395

20. संविधान में उल्लिखित अनुसूचियां

अनुसूची	विषय	संबंधित अनुच्छेद
प्रथम	राज्य संघ राज्य क्षेत्र	1 – 4
दूसरी	संवैधानिक पदों पर आसीन अधिकारियों की परिलब्धियां 1. भारत के राष्ट्रपति 2. राज्यों के राज्यपाल 3. लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 4. राज्यसभा के सभापति और उपसभापति 5. राज्य विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 6. राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति 7. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 8. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 9. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक	59(3),65(3),75(6) 97,125,148(3) 158(3) 164(5),186,221
तीसरी	विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप 1. संघ के मंत्री संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी 2. संसद के सदस्य 3. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 4. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 5. राज्यों के मंत्री 6. राज्य विधान मंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी 7. राज्य विधान मंडल के सदस्य 8. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश	75(4),84 A, 99, 124(6), 148(2), 164(3),173 A , 188, 219
चौथी	राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन	4(1), 80(2)
पांचवी	अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध	244(1)
छठी	असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध	244(2), 275(1)
सातवीं	संघ सूची (मूल रूप से 97 वर्तमान में 100 विषय) राज्य सूची (मूल रूप से 66 वर्तमान में 61 विषय) तथा समवर्ती सूची (मूल रूप से 47 वर्तमान में 52 विषय) के संदर्भ में राज्य और केंद्र के	246

Study Tide VICS

	मध्य शक्तियों का विभाजन	
आठवीं	संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं (मूल रूप से 14 वर्तमान में 22)	344(1), 351
नौवीं	❖ भूमि सुधारों और जमीदारी प्रथा के उन्मूलन एवं अन्य मामलों से संबंधित ❖ वर्तमान में 284 प्रविष्टियां ❖ पहले संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया	31 B
दसवीं	✓ दल बदल के आधार पर संसद और विधान सभा के सदस्यों की अयोग्यता के बारे में उपबंध। ✓ 52 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया।	102(2), 191(2)
ग्यारहवीं	➢ पंचायत की शक्तियां प्राधिकार और जिम्मेदारियां। ➢ इसमें 29 विषय है। ➢ इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया।	243 G
बारहवीं	❖ नगर पालिकाओं की शक्तियां प्राधिकार और जिम्मेदारियां ❖ इस अनुसूची को 74 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया ❖ जिसमें 18 विषय हैं	243 W

Study Tide
VICS